न्यायालय विशेष न्यायाधीश ,एस0सी0एस0टी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ,लखनऊ।

उपस्थित :एस0ए0एच0रिजवी–एच0जे0एस0

1.सत्र परीक्षण सं0:0500159/2008
मु0अ0सं0:281/2007
धारा:115 ,120बी ,121 ,121ए ,124ए ,307 भा0दं0सं0
थाना:वजीरगंज ,लखनऊ।
राज्य.....प्रति.....जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू आदि

2.सत्र परीक्षण सं0–0500160/2008
मु0अ0सं0:282/2007
धारा:3/7/25 आर्म्स एक्ट ,
थाना:वजीरगंज ,लखनऊ।
राज्य.....प्रति.....जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू आदि

3.सत्र परीक्षण सं0:0500161/2008
मु0अ0सं0:283/2007
धारा:4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना:वजीरगंज ,लखनऊ।
राज्य.....प्रति.....जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू आदि

4.सत्र परीक्षण सं0:0500162/2008
मु0अ0सं0:284/2007
धारा:3/7/25 आर्म्स एक्ट
थाना:वजीरगंज ,लखनऊ।
राज्य.....प्रति.....नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर

5.सत्र परीक्षण सं0:0500854/2009
मु0अ0सं0:281/2007
धारा:16/18/20/23 विधि विरुद्ध किया कलाप नि0अधि
थाना: वजीरगंज ,लखनऊ।
राज्य.....प्रति.....जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू आदि

6.सत्र परीक्षण सं0:0500163/2008
मु0अ0सं0:285/2007
धारा:4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना:वजीरगंज ,लखनऊ।
राज्य.....प्रति.....नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर

7.सत्र परीक्षण सं0:0500801/2007
मु0अ0सं0:237/2007
धारा:4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0
धारा 16 ,18 ,20 ,23 विधि विरुद्ध किया कलापनि0अधि.
थाना:मोहनलालगंज ,लखनऊ।

राज्य.....प्रति.....अली अकबर हुसैन आदि

निर्णय

1. अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला,नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर,शेख मुख्तार हुसैन,मो0 अली अकबर हुसैन,अजीर्जुरहमान उर्फ सरदार एवं नूर इस्लाम उर्फ मामा के विरुद्ध मु0अ0सं0 281/2007 अन्तर्गत धारा 115,120बी,121,121ए,122,124ए व 307 भा0दं0सं0 मे तथा इसी अपराध संख्या में अभियुक्त अली अकबर हुसैन,शेख मुख्तार हुसैन व अजीर्जुरहमान उर्फ सरदार के विरुद्ध धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना वजीरगंज की पुलिस ने आरोप–पत्र प्रेषित किया है जो सत्र परीक्षण संख्या 159/2008 है।

अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्लाह के विरुद्ध अपराध संख्या 282/2007 मे धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम मे पुलिस थाना वजीरगंज से आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है जो सत्र परीक्षण संख्या 160/2008 है।

अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला के विरुद्ध अ0सं0 283/07 में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना वजीरगंज में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया जो सत्र परीक्षण संख्या 161/2008 है।

अभियुक्त नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर के विरुद्ध अ0सं0 284/07 में धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम में थाना वजीरगंज की पुलिस द्वारा आरोप–पत्र प्रेषित किया गया जो सत्र परीक्षण संख्या 162/2008 है।

अभियुक्त नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर के विरुद्ध अ0सं0 285/07 में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 मे थाना वजीरगंज की पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जो सत्र परीक्षण सं0 163/2008 है।

अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला,नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर व नूर इस्लाम उर्फ मामा के विरुद्ध अपराध संख्या 281/2007 धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि0 पुलिस थाना वजीरगंज मे आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है जो सत्र परीक्षण संख्या 854/2009 है।

अभियुक्तगण मो0 अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार व शेख मुख्तार हुसैन के विरुद्ध अपराध संख्या 237/2007 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि0 मे पुलिस थाना मोहनलालगंज द्वारा आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है जो सत्र परीक्षण संख्या 801/2007 है।

2. दिनांक 05/08/2010 के आदेश से सत्र परीक्षण संख्या 159/2008,160/2008, 161/2008, 162/2008, 163/2008 व 854/2009 को समेकित किया गया तथा आदेश दिनांक 06/01/2011 के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 801/2007 को सत्र परीक्षण संख्या 159/2007 के साथ समेकित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या 159/2008 लीडिंग केस हैं।

3. अभियोजन केस इसप्रकार है कि दिनांक 23/06/2007 को निरीक्षक एस0टी0एफ0,लखनऊ अविनाश मिश्रा ने एक फर्द थाना वजीरगंज में इस आशय से दी कि‘‘भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रो की भूमि से संचालित आतंकवाद संगठन हरकल उल जेहाद अल इस्लामी जो अन लॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 2(1)(एम) तथा 35 के अनुसार प्रतिबंधित संगठन है जो भारत के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियो में लिप्त है। यह विदेशी आतंकवादियो को शस्त्रो व विस्फोटको के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवको को अवैध रुप से बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियो की ट्रेनिंग दिलाकर प्रशिक्षित आतंकवादियो द्वारा भारत में आतंक एवं विध्वंसक कार्यवाही कर रहा है। इस सम्बंध में केन्द्रीय अभिसूचना एजेन्सियो द्वारा लगातार सूचनाये प्राप्त हो रही थी। विगत कुछ समय में हुई आतंकवादी घटनाओ के सम्बंध में पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा इन आतंवादी संगठनो के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में अपर महानिदेशक एस0टी0एफ0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 द्वारा इन आतंकवादियो के सम्बंध मे अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही किए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त देव,निरीक्षक श्री अभय नारायण शुक्ला,श्री अविनाश मिश्रा,कां0 अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। इनके द्वारा विभिन्न माध्यमो से सूचना संकलन करते हुए सूचना को विकसित किया गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि हरकत उल जेहाद अल इस्लामी फिदायीन आतंकवादी को प्रशिक्षित कर विध्वंसक कार्यवाही के लिए भारत भेजता है तथा साथ ही भारत से भी आतंकवादी कार्यवाही के लिए धार्मिक रुप से उन्मादग्रस्त एवं हिंसक

प्रवृत्ति के लोगो को चिन्हित कर अपनी विचार धारा मे डालकर आतंकवादी गतिविधियो की ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए अधिकांशतयः उन लोगो को वरीयता दी जाती है तो पासपोर्ट धारक होते है। इन्हें वैध तरीके से बंगलादेश भेजा जाता है जिनके पास वैध पासपोर्ट नहीं होता उन्हें अवैध रुप से सीमा पार कराकर बंगलादेश भेजा जाता है। बंगलादेश मे पहले से इंतजार कर रहे आतंकवादी. संगठन के लोग भारत से भेजे गये लड़को को धार्मिक रुप से और अधिक उग्र एवं उन्मादित करते है तथा बंगलादेश का पासपोर्ट बनाकर भारतीय पासपोर्ट अपने पास रख लेते है। इसके बाद इन्हें पाकिस्तान का बीजा लगाकर हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा जाता है जहां कराची से सड़क मार्ग से 7–8 घण्टे की दूरी बख्तरबंद गाड़ी से तय कराकर गोपनीय निर्जन पहाड़ी क्षेत्रो में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। ट्रेनिंग कैम्प में अस्त्र–शस्त्र चलाने विस्फोटक तैयार कर विस्फोट करने की विधि समझायी जाती है। ट्रेनिंग पूर्ण होने पर पुनः उसी प्रकार वापस बंगलादेश भेजा दिया जाता है। बंगलादेश में पुनः इनका बंगलादेशी पासपोर्ट रखकर भारतीय पासपोर्ट दे दिया जाता है। प्रशिक्षण पाये आतंकवादी भारत आकर आतंकवादी संगठन के एरिया कमाण्डर से सम्पर्क करते है तथा उनके निर्देश हथियार,विस्फोटक तथा टारगेट प्राप्त करते हैं। इनके टारगेट मुख्य रुप से संवेदनशील धार्मिक स्थल,सिक्योरिटी फोर्सेस,वी0आई0पी0,पानी की टंकी,बड़े बिजली घर एवं भीड़भाड़ वाले स्थान होते है जहां पर फिदायीन हमला कर अधिक से अधिक जानमाल का नुकसान करते हुए कानून एवं लोक व्यवस्था को अपनी आतंकवादी व विध्वंसक गतिविधियो से छिन्न–भिन्न करते हुए आपसी सौहार्द समाप्त करने के साथ संवैधानिक रुप से चुनी गयी सरकारो एवं भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने तथा युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह कर सरकारो को अपदस्थ करने का संवैधानिक संकट पैदा करते है। इसी क्रम में दिनांक 21/06/07 को हरकत–उल–जेहाद अल इस्लामी संगठन के पाक प्रशिक्षित दो फिदायीन आतंकवादी लखनऊ में गिरफतार हुए जिनके नाम क्रमशः याकूब एवं नासिर हुसैन है। इन लोगो से मजीद पूछतांछ से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग अपने साथियो की मदद से आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे जिससे जनता में भय दहशत एवं आतंक फैल जाये तथा निर्दोष लोगो की मौत से साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ जाये तथा लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाये। मजीद पूछतांछ से अन्य दो आतंकवादियो के नाम बाबू एवं नौशाद बताया तथा उनके लखनऊ व आसपास के ठिकानो व उनके विषय में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी। उपरोक्त जानकारियों पर टीम द्वारा पतारसी–सुरागरसी व मुखबिरान की सूचनाओ से यह जानकारी प्रकाश में आयी की

कुख्यात आतंकवादी बाबू व नौशाद लखनऊ मे मौजूद है और सटीक सूचना हेतु निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा द्वारा मुखबिरान को मुनासिब हिदायत दी गयी। इसी क्रम में आज दिनांक 22/06/07 को समय करीब 11.30 पी.एम. पर एस0टीएफ0 कार्यालय पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात आतंकी बाबू व नौशाद इस समय अमीनाबाद मे किसी होटल या मुसाफिर खाने में रुके हुए है जिनके पास काफी भारी बैग है जिसमें नाजायज असलाह या विस्फोटक हो सकता है और ये दोनो हरकल–उल–जेहाद अल इस्लामी के फिदायीन आतंकवादी है। देर रात या फजर की नमाज से पहले कैसरबाग बस स्टैण्ड से कही बाहर निकलने वाले है। इन लोगो ने पी0सीओ0 से भी कहीं अपने मिलने वालो से बातचीत की है। इस सूचना पर विश्वास कर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन के अनुसार दो टीमो का गठन किया गया। प्रथम टीम मे निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,उप निरीक्षक विनय गौतम,उप निरीक्षक धर्मेश शाही,हे0कां0पंकज द्विवेदी,हे0कां0 विनोद कुमार मिश्रा,हे0कां0 बराती लाल,कमांडो राजेश,कां0 उस्मान,हे0कां0 प्रदीप कुमार मय असलहा व हे0कां0/चालक सुशील पाण्डे मय गाड़ी नं0 यू0पी0–32/बी0जी0–0422 क्वालिस व दूसरी टीम मे उ0नि0 बी0एम0 पाल,उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव,उ0नि0 जितेन्द्र सिंह,एचसीपी राकेश त्यागी,कां0 राजेन्द्र,कां0 ओमपाल,कमाण्डो सुनील,मनोज,शशिभूषण,कां0 अरविन्द मय सरकारी गाड़ी यू0पी0–34/जी–0017 बुलेरो मय कां0/ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह मय मुखबिर के समय करीब 12.15 बजे पी0एम0 पर एसटीएफ कार्यालय से रवाना होकर नया बस अड्डा कैसरबाग पहुॅचे। वहां निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला द्वारा आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी तत्पश्चात दोनो ने शेष पुलिस बल की जामा तलाशी लेकर यह सुनिश्चित किया कि अलावा सरकारी असलाह के अन्य कोई अवैध गोला बारुद जैसी वस्तु किसी के पास नहीं है। जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया परन्तु नावक्त होने के कारण नहीं मिले। निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा ने अपनी टीम की गाड़ी मय ड्राइवर के मौजूदा आड़ मे खड़ी कर बस अड्डे के पहले दक्षिणी तिराहे पर रेजीडेंसी के सामने गाड़ाबंदी की व दूसरी टीम को हाईकोर्ट तिराहे पर मुनासिब हिदायत के साथ लगाया गया तथा सूचनानुसार आतंकवादियो का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद एक रिक्शे मे दो व्यक्ति हाथो में हैण्ड बैग लिए सी0एम0ओ0 आफिस की तरफ से आकर तिराहे पर रुके और अपना–अपना बैग लेकर रिक्शे से उतरे कि मुखबिर ने इशारे से बताया व दिखाया कि यही दोनो शातिर कुख्यात आतंकवादी है और चला गया। निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा मय हमराहीयान के दोनो की तरफ सावधानी व

सर्तकता पूर्वक बढ़े। शक होने पर दोनो सकपका कर अपने–अपने बैग लेकर रेजीडेसियल की तरफ अंधेरे की ओर तेज कदमो से चलने लगे कि निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा ने बुलंद आवाज में अपना परिचय देते हुए रुकने के लिए कहा तो अचानक एक व्यक्ति ने हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा जिससे निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,उ0नि0 धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज,हे0कां0 धीरेन्द्र,हे0कां0 विनोद,हे0कां0 बराती लाल व हे0का0/ड्राइवर सुशील पाण्डेय बाल–बाल बच बचे कि आतंकियो की फायरिंग रेंज में होने तथा अंधेरा होने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम मे डालकर गिरफतारी की नियत से अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन कर आगे बढ़े कि आतंकी द्वारा पुनःजान से मारने की नियत से फायर करने लगे कि निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,उ0नि0 धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज,हे0कां0 धीरेन्द्र,हे0कां0 विनोद,हे0कां0 बराती लाल ने अपनी जान जोखिम मे डालकर व कर्तव्यनिष्ठा पराकाष्ठा का परिचय देते हुए आतंकियो की नजदीक फायरिंग रेंज में पहुॅच कर आत्म रक्षार्थ संतुलित व नियंत्रित जबाबी फायरिंग की गयी। जवाबी फायरिंग के उपरांत आतंकियो की तरफ से फायर आना बंद हो गया व उनकी आपस मे खुसपुसाहट व खटपट जैसे आवाजे सुनाई दी तभी द्वितीय टीम भी आड़ छिपाते हुए मदद के लिए आ गयी। अंधेरे का व पुलिस सिखलाई का फायदा लेते हुए तेजी के साथ कोलिंग करते हुए टीम के अन्य सदस्यो की मदद से एक आतंकी को पिस्टल की स्लाइड खींचते हुए तथा दूसरे को बैग से ए0के0–47 निकालते हुए तेजी व फुर्ती के साथ समय करीब 2.40ए0एम0 पर पकड़ लिया जिनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला मंडल पुत्र अब्दुल रशीद नि0 ग्राम भीलपाड़ा पोस्ट व थाना ज्वायनगर मजलापुर जिला दक्षिण चौबीस परगना पश्चिम बंगाल जिसके कब्जे से दाहिने हाथ से ए0के0–47 व बांये हाथ से एक काले रंग का बैग जिसके सामने के पाकिट से दो अदद मैगजीन प्रत्येक में 30–30 कारतूस तथा बैग के अन्दर एक पीली पालीथीन जिसमें रुई से लिपटे 10 डेटोनेटर स्टील धातु रंग के जिन पर हरे,पीले,सफेद तार लगे है व रुई के बीच पीली प्लास्टिक टेप मे लिपटे 05 हैण्ड ग्रेनेट,पीली प्लास्टिक टेप खोल कर देखा तो बाडी डार्क ग्रे चौखाने बने है जिसपर स्टील कलर की धातु कैप लगी है जिस पर 86 पी.01.03632 अंकित है तथा एक हरी पालीथीन मे क्वार्टस् अलार्म क्लाक फलावर पाट शेप मे मय 9 वोल्ट बैटरी जिस पर एच.डब्लू.वाट अंकित है व इस्तेमाली कपड़े। ए0के0–47 की बाडी के बांयी तरफ 11314 व फोर साइड पर 01837 पीछे की ओर व उपर 864257531

अंकित है तथा हाथ में पहने एक टाइटन धड़ी सफेद डाय,एक ट्रेन टिकट लखनऊ से वाराणसी दिनांक 20/06/07 जिसका पीएनआर नं0–2502454181(दो व्यक्तियो का)एक पाकेट डायरी खरीदने का कैश मेमो,पीसीओ की पर्ची,एक डीएल व 3200/–नगद काले रंग के रैकसीन के पर्स से मिले। दूसरे ने अपना नाम नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर पुत्र शमी नि0 चकउदरा चन्द थाना बडरापुर जिला बिजनौर जिसके दाहिने हाथ से एक अदद पिस्टल स्लाइड फंसी हुई 7.62 जिस पर सीएएल 30 माउजर मेड एज चाइना बाई नोरीनको अंकित है,04 खोखे एवं 02 जिन्दा कारतूस व एक काले रंग का बैग जिसमें नीली पालीथीन मे दो अदद क्वार्टज घड़ी दिलनुमा शेप की जिस पर बैटरी व तार लगी है। एक प्लास्टिक का बाक्स जिसमें रुई के बीच मे रखे 15 हैण्ड ग्रेनेड बम जिसकी बाडी काले रंग की स्टील धातु जैसी पिन व हरे रंग की प्लास्टिक कैप लगी है जिसे हटाकर देखा तो 82–2501–03650 लिखा है। दो हरे रंग के बिना पट्टी वाले थैले प्रत्येक मे दो–दो पैकिट हाई एक्सप्लोसिव जिनका वजन क्रमशः 4.450 ग्राम– 4किग्रा0 550ग्राम जिसको साथ लिए तराजू–बांट से वजन किया गया। पर्स से 1855/–रुपये व ट्रेन की दो टिकट दिनांक 22/06/07 वाराणसी से लखनऊ व एक ड्राइविंग लाइसेंस जामा तलाशी को अलग–अलग लिफाफो में रखकर चिटबंदी की गयी। बरामद एके0–47 व स्टार पिस्टल को अलग–अलग हार्ड बोर्ड पर रखकर मय मैगजीन व कारतूस के सूत की रस्सी से बांधकर पालीथीन लगायी गयी व चिटबंदी की गयी। बरामद डेटोनेटर व ग्रेनेड को उसी प्रकार एक पालीथन व एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर उसे बरामद बैगो मे अलग–अलग रख चिटबंदी की गयी। बरामद घड़ियो को अलग–अलग गत्ते पर रखकर पालीथीन लगाकर सभी की चिटबंदी की गयी। मजीद पूछतांछ से बताया कि साहब हमारे साथ दो बंगलादेशी जैसे और थे जो पीछे रिक्शे मे थे। उन्होनें शायद आपको देख लिया तो वे हमारे पीछे नहीं आये है। वे हमारी मदद हेतु आज ही आये थे। हम उनका नाम पता नहीं जानते है। तत्काल दो संदिग्धो की तलाश हेतु उ0नि0 बी0एम0 पाल,उ0नि0धर्मेन्द्र यादव,कमाण्डो सुनील,मनोज को भेजा गया परन्तु सफलता नहीं मिली। वे लोग भागने में सफल रहे। मजीद पूछतांछ से बाबू ने बताया कि मैने वर्ष 2001 में ढाका मे हूजी के अमीर के माध्यम से जेहाद की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था वहां मुझे हूजी के चीफ मीर रजा खान उर्फ मुत्तकी के माध्यम से कटिली में एक माह 20 दिन की ट्रेनिंग लिया था जिसमें मुझे .762 पिस्टल,ए.के.–47 का चलाना तथा डेटोनेटर तथा सेफ्टीफ्यूज से रिमोट कंट्रोल द्वारा बम विस्फोट करना सिखाया गया था जिस वक्त मै ट्रेनिंग ले रहा था तो मलेशिया फिलिपीन्स साउथ अफ्रीका व पाकिस्तान के 20–22 लड़के भी ट्रेनिंग ले रहे थे।

ट्रेनिंग के बाद मुझे इण्डिया में ट्रेनिंग के लिए लड़को को तैयार करना व विस्फोटक सामग्री एवं असलहो की भारत वर्ष में विभिन्न जगह पहुॅचाने की जिम्मेदारी दी गयी थी। मुत्तकी व उमर से मेरा परिचय जब ढाका में हुआ था मैं 1984 मे ढाका पढ़ने गया था तो सब से पहले अमीर रजा खान के यहां काम करने वाले मुनीर उर्फ असद के जामिया सिद्दीकी मदरसे में 6–7 महीने पढ़ने के बाद मुनीर ने मेरा दाखिला जामिया रहमानिया माली गांव मदरसे में करा दिया था तथ पढ़ाई पूर्ण होने के एक वर्ष पहले आसिफ रजा खान व मुनीर ने मुझे बाबरी मस्जिद गिराने के सम्बंध मे हिन्दुस्तान मे मुसलमानो पर हिन्दुओ द्वारा अत्याचार करने के सम्बंध में बताकर जेहाद में शामिल कर लिया था। ट्रेनिंग के बाद मैने आसिफ रजा खान के साथ खादिम शू कम्पनी के मालिक पार्थो बर्मन का अपहरण कर 05 करोड़ रुपया फिरौती के वसूले थे। इन पैसो का जेहाद में प्रयोग होना था। जेहाद की ट्रेनिंग के बाद अब तक मैने सैकड़ो लड़को को जो हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतो के थे उनको जेहाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान मे करायी तथा मैने ढाका के अमीर कमर के माध्यम से 40 किग्रा0 आर0डी0एक्स0 बनारस व 20 किग्रा. आर0डीएक्स बाम्बे व 30 किग्रा0 आरडीएक्स दिल्ली विस्फोट करने के लिए दे चुका हूॅ तथा मेरे द्वारा दिये गये आरडीएक्स से इन सभी जगह विस्फोट करवा चुका हूॅ तथा जिन लड़को को मैं ट्रेनिंग के लिए भेजता हूॅ उन्हें कलकत्ता के बार्डर से क्रास करा के भेजता हूॅ तथा नाटा उन लड़को का जाली पासपोर्ट बनाकर हवाई जहाज से पाकिस्तान अमीर रजा खॉ के पास करांची भेजता है जहां वे लड़के ट्रेनिंग लेते है। नासिर ने बताया कि मै 2000 से 2003 तक जब देवबंद मे किरात की पढ़ाई कर रहा था तभी देवबंद में पढ़ रहे मो0 इकबाल अमीन उर्फ अब्दुल रहमान ने मुझे जेहाद के लिए तैयार कराया और बाबू खॉ के माध्यम से मुझे ढाका नाटा के पास भेजा। नाटा ने मेरा जाली पासपोर्ट उमर के नाम से बनवाकर पाकिस्तान करांची भेजा था जहां मुस्तफा नाम के व्यक्ति ने कोटली में आतंकवाद की ट्रेनिंग दिलवायी थी जिसमें मैने एके 47,पिस्टल,डेटोनेटर स्वीच और बैटरी से आरडीएक्स लगाकर विस्फोट करना सीखा था तथा मै 2004 में ट्रेनिंग के बाद लौटकर आया तो बाबू के माध्यम से आतंकवाद की घटना करने के लिए नाटा ने 80 हजार रुपया भेजा था जिससे धामपुर में आतंकवादियो को ठहराने के लिए कमरा लिया था जिसमे आतंकियो एवं विस्फोटक सामग्री को रखवाया गया था। बरामद हाई एक्सप्लोसिव को उन्हीं बिना स्टैप के थैलेनुमा हरे रंग के कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद दोनो बैगो में इस्तेमाली कपड़े आदि भी है जो उसी प्रकार यथावत बैगो में रखकर चिटबंदी करायी गयी। पकड़े गये आतंकवादियो द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी तथा

विस्फोट के माध्यम से विध्वंसक कार्यवाही करने जिसके फलस्वरुप जनता में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़े एवं कानून व्यवस्थ व लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न करने की योजना बनाकर विस्फोटक सामग्री,असलहा नाजायज कब्जे में रखने के कारण इनके द्वारा 115/120बी/121,121ए/122/124ए/307 भादंसं0 तथा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0,धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध किया कलाप निवा0अधि0,3/35 आर्म्स एक्ट का अपराध कनता है। दोनो अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद विस्फोटक सामग्री के बारे में उच्चाधिकारियो के माध्यम से नियंत्रक विस्फोटक को सूचना भिजवायी गयी। मजीद पूछतांछ में बाबू ने बरामद विस्फोटको के सम्बंध बताया कि उक्त सामान मुझे मुत्तकी उर्फ अमीर रजा खॉ ने उपलब्ध करायी थी जिसे मैं विस्फोट हेतु ले जा रहा था।

उपरोक्त फर्द के आधार पर थाना वजीरगंज में अपराध संख्या281/2007,282/07,283/07,284/07 धारा115/120बी/121,121ए/122/124 ए, 307 भादंसं0 तथा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0,धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध किया कलाप निवा0अधि0,3/35 आर्म्स एक्ट विरुद्ध जलालुद्दीन व नौशाद के विरुद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना अभियुक्तगण मो0 अली अख्तर हुसैन,अजीजुर रहमान व शेख मुख्तार हुसैन के नाम भी प्रकाश में आये और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा विवेचक द्वारा पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लिया गया। पूछतांछ के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त ने यह बताया कि दिनांक 23/06/2007 को जलालुद्दीन उर्फ बाबू व नौशाद के पकड़े जाने की सूचना लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर लगे टी.वी. मे सुबह के समय समाचार से जानकारी के बाद हम लोग वहां से जीप मे बैठे और ड्राइवर से रायबरेली जाने के लिए बताया आगे जाकर एक जगह जीप रुकी। ड्राइवर ने बताया कि पी0जी0आई0 से आगे है इस पर हम तीनो लोग वही उतर गये तथा सड़क के दाहिने पट्टी पर एक टूटी–फूटी कोठरीनुमा जगह की पिछली दीवार के पास कच्ची जमीन मे गाड़कर छिपाकर विस्फोटक सामान रखा है और बरामद करा सकते है। उसका विश्वास करके विवेचक पुलिस उपाधिक्षक राम नारायन सिंह पुलिस पार्टी के साथ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करके बज्र वाहन मे अन्य लोगो को लेकर रायबरेली रोड पर एस0जी0पी0जी0आई0 के आगे अभियुक्तगण द्वारा बताये गये रास्ते पर लगभग 3 किमी आगे पहुॅचे। एस0के0 जैन ईट भट्टे के सामने सड़क के दाहिने पटरी पर अभियुक्तगण पुलिस वाहन को रुकवाकर दाहिने पट्टी पर बने ईटो की एक कोठरी जिसमें कोई दरवाजा नहीं था,कोठरी के पीछे की दीवार के मध्य कच्ची जमीन

की तरफ इशारा करके बताया कि यहीं पर विस्फोटक पदार्थ हैण्ड ग्रेनेड दबाकर रखा है। मौके पर मिट्टी को खुदवाकर देखा गया तो एक पोलीथीन मे लिपटा हुआ एक पैकेट बरामद हुआ। टेप हटाकर देखा गया तो लाल रंग के पोलीथीन बैग में रुई से लिपटे खाकी रंग के अलग–अलग 10 हैण्ड ग्रेनेड व रुई में लिपटे 10 डेटोनेटर स्टील कलर जिस पर पीले,हरे,सफेद रंग के दो–दो तार लगे थे,बरामद हुए तथा एक अन्य पोलीथीन बैग का एक पैकेट खाकी टेप लगा जिसके अन्दर 09 अदद विस्फोटक पदार्थ पी.ई. 3ए सफेद कागज मे लिपटे बरामद हुए। जिसका वजन लगभग 2 किग्रा है। जिसे देखकर अभियुक्तगण ने बताया कि यहीं वह सामान है जो मैने भागते वक्त यहां पर छिपाकर रख दिया। इन सभी सामान को सावधानीपूर्वक पुलिस ने कब्जे में लिया। बरामदगी के पूर्व जनता के गवाहान को फराहम करने का प्रयास किया गया तो जनता के व्यक्ति घनश्याम रावत व शत्रोहन लाल व मनोज यादव व अन्य व्यक्तियो ने अभियुक्तगण के खतरनाक आतंकवादी होने के कारण गवाही देने से मना कर दिया। फर्द मौके पर विवेचक राम नारायन सिंह ने उप निरीक्षक कुलदीप तिवारी को बोलकर लिखवायी और सभी हमराही पुलिस कर्मचारीगण व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये गये। उपरोक्त फर्द के आधार पर थाना मोहनलालगंज में अपराध संख्या 237/07 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवा0अधि. अभियुक्तगण मो0 अली अख्तर हुसैन,अजीजुर्रहमान सरदार व शेख मुख्तार हुसैन के विरुद्ध पंजीकृत हुई और इसकी विवेचना भी प्रचलित हुई।

दौरान विवेचना एक अन्य अभियुक्त नूर इस्लाम उर्फ मामा का नाम भी प्रकाश मे आया तथा उसकी भी गिरफतारी की गयी व पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त कर उसकी निशांदेही पर जनपद उन्नाव की सीमा से विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए।

4. दोनो मामलो में विवेचक ने गवाहान के बयान अंकित किए। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। बरामद विस्फोटक पदार्थ को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा तथा विस्फोटक पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कराया। विवेचना पूर्ण कर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया तथा सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृत प्राप्त किया।

5. सत्र परीक्षण संख्या 159/2008 में अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्लाह,नौशाद उर्फ हाफिज,शेख मुख्तार हुसैन,मो0 अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान,नूर इस्लाम उर्फ मामा के विरुद्ध धारा

115,120बी,121,121ए,122,124ए व 307 भा0दं0सं0 आरोल गाये गये।

सत्र परीक्षण संख्या 160/08 तथा सत्र परीक्षण सं0 162/08 में क्रमशः अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला तथा नौशाद उर्फ हाफिज के विरुद्ध धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट तथा सत्र परीक्षण संख्या 161/08 व 163/08 में अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू, उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्लाह तथा नौशाद उर्फ हाफिज के विरुद्ध धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि के आरोप लगाये गये। सत्र परीक्षण सं0 801/07 अभियुक्तगण मो0 अली अकबर हुसैन,शेख मुखतार हुसैन,अजीजुर्रहमान सरदार के विरुद्ध धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप नि0अधि0 तथा धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 तथा सत्र परीक्षण सं0 854/09 मे जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्लाह तथा नौशाद उर्फ हाफिज व नूर इस्लाम उर्फ मामा के विरुद्ध धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवा0 अधि0 के आरोप लगाये गये। अभियुक्तगण ने सभी आरोपो से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. मौखिक साक्ष्य में अभियोजन ने पी0डब्लू–1 राम नयन सिंह(अपर पुलिस अधीक्षक),पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला(निरीक्षक एस0टी0एफ0),पी0डब्लू–3 सत्येन्द्र सिंह(उप निरीक्षक एस0टी0एफ0),पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह(उप निरीक्षक),पी0डब्लू–5 बृज मोहन पाल(उपनिरीक्षक), पी0डब्लू–6 राम बहादुर सोनकर(एच.सी.पी.),पी0डब्लू–7 आनन्द कुमार पाण्डे(हे0कां0),पी0डब्लू–8 छोटे लाल(कां0), पी0डब्लू–9 कुलदीप तिवारी(वरिष्ठ उप निरीक्षक),पी0डब्लू–10 जनक प्रसाद द्विवेदी(क्षेत्राधिकारी पुलिस),पी0डब्लू–1 बी0एस0 गर्ब्याल(क्षेत्राधिकारी पुलिस),पी0डब्लू–12 चरन सिंह(सी.ओ.), पी0डब्लू'13 बलवंत कुमार चौधरी(सी.ओ.),पी0डब्लू–14 चिरंजीव नथ सिन्हा(सी.ओ.),पी0डब्लू–15 महेश कुमार गुप्ता तत्कालीन गृह सचिव,पी0डब्लू–16 विनय चन्द्र (सी.ओ.पी0डब्लू–17 अरविन्द कुमार सिंह(एस0आई),पी0डब्लू–18 आर0बी0 सरोज(एस0आई0),पी0डब्लू–19 जयप्रकाश पाण्डेय(कां0),पी0डब्लू–20 मनोज यादव,पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा(निरीक्षक) तथा पी0डब्लू–22 विनय कुमार गौतम(निरीक्षक) को पेश किया गया है। इन साक्षियो के द्वारा प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–25 पुलिस प्रपत्रो को साबित किया गया है। कायमी जी0डी.0 अ0सं0 237/07 थाना मोहनलालगंज की कार्बन प्रति प्रदर्श क–26 की औपचारिक सत्यता को बचाव पक्ष के द्वारा स्वीकार किया गया है।

7. धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के बयान अंकित किए गए। अभियुक्तगण ने अभियोजन केस व गवाहो के कथनो को अस्वीकार करते हुए उन्हें गलत होना कहा है। साक्षियो के द्वारा झूठा फंसाने के लिए गवाही देने का कथन किया है तथा मुकदमा फर्जी चलाने का भी कथन किया है। अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि ''मुझे दिनांक 09/06/07 को उठाया गया। मैं निर्दोष हूँ।'' अभियुक्त नौशाद उर्फ हाफिज ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि ''मुझे घर से उठाया गया है। अभियुक्त अली अकबर हुसैन ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि ''मुझे दिनांक 27/06/07 को अपने पते से गिरफतार किया गया है।''मेरे उपर लगाये गये सभी आरोप फर्जी व बेबुनियाद है। अभियुक्त अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि मुझे पश्चिम बंगाल की सीआईडी द्वारा 11/06/07 को घर से पकड़ कर फर्जी मुकदमे में फंसाकर न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 22/06/076 का रिमाण्ड आदेश की नकल न्यायालय में पेश कर चुका हूँ। मैं दिनांक 11/06/07 से 26/06/07 तक सीआईडी,पश्चिम बंगाल की कस्टडी में था। मुझे फर्जी फंसाया गया।'' अभियुक्त नूर इस्लाम उर्फ मामा ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि ''मुझे दिनांक 1107/07 को अपने गांव से उठाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। अभियुक्त शेख मुख्तार हुसैन ने यह अतिरिक्त कथन किया है कि ''मुझे दिनांक 23/06/07 को अपने घर से 10 किमी0 दूर फोन से बुलाकर उठाया गया है। मैं निर्दोष हूँ।''

8. बचाव में डी0डब्लू–1 अब्दुल वाजिद व डी0डब्लू–2 अब्दुल हलीम को पेश किया गया है। अभियुक्त अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार ने बचाव साक्ष्य के लिए यह कथन है कि अपर मुख्य न्यायिक मजि0,अलीपुर(पश्चिम बंगाल) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/06/07 सफाई साक्ष्य में पढ़ा जाये जो दाखिल किया है।

अभियुक्तगण ने अभिलेखीय साक्ष्य में अ0सं0 221/07 व 222/07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट,अ0सं0 220/07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट,सत्र विचारण सं0 35/2008 सरकार बनाम नासिर हुसैन मे पारित निर्णय,अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अलीपुर पी0एस0 केस नं0 184/07 के आदेश दिनांकित 22/06/07 व इसी केस की धारा 173 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट तथा सत्र विचारण सं0 155/08 सरकार प्रति याकूब के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श ख–1 ता प्रदर्श ख–6 दाखिल की है।

9. मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्को को सुना तथ पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अभियोजन ने अपने केस को सिद्ध करने के लिए कुल 22 गवाह पेश किए है जिनमे पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला,पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह,पी0डब्लू–5 बृजमोहन पाल,पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा व पी0डब्लू–22 विनय गौतम दिनांक 23/06/07 की घटना के तथ्य के साक्षी है। पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''दिनांक 23/06/07 को मै इंस्पेक्टर एसटीएफ,उ0प्र0 मे तैनात था। हम लोगो के टीम के इंचार्ज अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त देव तिवारी थे। काफी दिनो से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रो की भूमि से संचालित प्रतिबंधित संगठन हरकत उल जेहाद हूजी भारत मे आतंकवादी गतिविधियो मे लिप्त है। इस सूचना को विकसित करने के लिए अनन्त देव तिवारी अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे मै इंस्पेक्टर अविनाया मिश्रा,कम्पनी कमांडर अनिल सिंह लगाये गये। विभिन्न माध्यमो से ज्ञात हुआ कि विदेशी भूमि से आतंकवादियो को प्रशिक्षण देकर व भारत मूल के लोगो को बंगलादेश के माध्यम से पाकिस्तान भेजकर असलहा चलाने व विस्फोटक की ट्रेनिंग देकर वापस भारत भेजकर भारत वर्ष मे आतंकी घटनाओ को अंजाम देकर धार्मिक स्थल,वीआईपी सिक्योरिटी फोर्स व भीड़भाड़ के स्थान को टारगेट करके आतंकी घटनाओ को अंजाम देकर कानून एवं व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करते हुए आपसी सौहार्द समाप्त कर संवैधानिक ढंग से चुनी हुई भारत सरकार को अपदस्थ करके संवैधानिक संकट पैदा करना है। इसी क्रम मे दिनांक 21/06/07 को हूजी के दो प्रशिक्षित आतंकवादी याकूब व नासिर गिरफतार हुए। जिन लोगो ने पूछतांछ पर बताया था कि इनके साथी बाबू व नौशाद आतंकवादी घटना के लिए कहीं रुके है। जिनके पास भारी मात्रा मे विस्फोटक व असलहे है। इन लोगो से प्राप्त सूचना पर सुरागरसी व पतारसी की गई। मुखबिरान को विशेष हिदायत देकर लगाया गया। दिनांक 22/06/07 को रात 11.30 बजे एसटीएफ कार्यालय पर सूचना मिली कि बाबू व नौशाद अमीनाबाद मे कहीं किसी होटल या सरांय मे रुके है। भारी बैग के साथ ठहरे हुए है जिसमे असलहा व विस्फोटक सामग्री हो सकती है। यह दोनो देर रात सुबह की नमाज से पहले कैसरबाग बस अड्डे से कहीं बाहर निकलने वाले है। इस सूचना को उच्चाधिकारियो को अवगत कराकर दो टीमो का गठन किया गया जिसमे प्रथम टीम मे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के साथ मै,एसआई विनय गौतम,एसआई धर्मेश शाही,हे.कां. धीरेन्द्र सिंह व अन्य पुलिस बल तथा दूसरी टीम मे एसआई बी0एम0

पाल के नेतृत्व मे एसआई जितेन्द्र सिंह,एस0आई0 धर्मेन्द्र यादव व अन्य पुलिस कर्मचारी मय सरकारी वाहन से रवाना होकर कैसरबाग बस अड्डे पहुॅचे। वहां पर मैने व अविनाश मिश्रा ने गवाहान की तलाश की परन्तु नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिला। तब आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु तो नहीं है। प्रथम टीम कैसरबाग बस अड्डे के दक्षिण रेजीडेंसी तिराहे पर जिसमे मै स्वंय था तथा दूसरी टीम हाईकोर्ट तिराहे पर लगायी गयी। हम लोग तिराहे पर मय मुखबिर आने वाले का इंतजार कर रहे थे कि काफी देर के बाद दो व्यक्ति रिक्शे से सीएमओ आफिस की तरफ से आये तथा मुखबिर ने इशारा किया कि यही वह दोनो आदमी है जो आतंकवादी है। हम लोग धीरे–धीरे उनकी तरफ बढ़े कि उन लोगो ने शक होने पर तेज कदमो से रेजीडेंसी की तरफ चले कि इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने अपना परिचय देते हुए रुकने के लिए कहा तो हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर किया। तब हम लोगो ने भी अपना बचाव करके संतुलित फायर करते हुए सिखाई ट्रेनिंग से आगे बढ़े तभी दूसरी टीम भी सहायता के लिए आ गयी। तभी कुछ खटपट व फुसफुसाहट की आवाज को सुनकर हम लोगो ने उन दोनो आतंकवादियो को मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछकर जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू बताया। इसके दाहिने हाथ मे एक अदद ए0के0–47 व बांये हाथ मे काले रंग के बैग की बाहरी जेब से दो मैगजीन ए0के0–47 जिसमे 30–30 कारतूस लोड थे तथा एक पोलीथीन मे 10 डेटोनेटर जिन पर हरे,पीले,सफेद तार लगे थे तथा रुई के बीच मे फैली प्लास्टिक से लिफटे 5 हैण्ड ग्रेनेड तथा एक पोलीथीन मे क्वार्टज अलार्म क्लाक तथा 9 बोल्ट की बैटरी व हाथ मे पहने टाइटन घड़ी तथा रैक्सीन की पर्स से 3200/–रुपये नगद एक पीसीओ की पर्ची व एक डीएल ,लखनऊ से वाराणसी के दो टिकट 30/06/07 बरामद हुये तथा दूसरे नौशाद के दाहिने हाथ से एक अदद 762 बोर का पिस्टल जिसकी स्लाइड फंसी हुई थी,दो जिन कारतूस व 4 खोखा कारतूस तथा काले रंग के बैग मे नीली पोलीथीन मे दो दिलनुमा घड़ी जिसमे बैटरी व तार लगे थे तथा प्लास्टिक के बाक्स मे 15 हैण्ड ग्रेनेड रुई मे लिपटे तथा हरे रंग के दो पैकेट मे हाई एक्स0 जिनमे एक का वजन 4.450 किग्रा0 व दूसरे मे 4.55.किग्रा0 था जिसे मौके पर तौला गया तथा पर्स से 1855/–रुपये नगद,एक पीसीओ की रसीद तथा 22/06/07 का वाराणसी से लखनऊ के दो टिकट व एक डीएल बरामद हुआ। जामा तलाशी अलग–अलग कपडो मे रखकर चिटबंदी की गयी। बरामद ए0के0–47,पिस्टल,मैगजीन कारतूस को अलग–अलग हार्ड बोर्ड पर डोरी से सिलकर चिटबंदी की गई। बरामद डेटोनेटर व

ग्रेनेड को डिब्बो मे रखकर उन्हीं झोलो मे रखकर चिटबंदी की गयी।''

पी0डब्लू–4 एस0आई0 जितेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''दिनांक 06/02/07 को मैं बतौर एस0आई0 एसटीएफ में तैनात था। एसटीएफ के कप्तान साहब द्वारा टीम गठित की गई थी जिसके टीम लीडर श्री अविनाश कुमार मिश्रा थे। श्री अविनाश मिश्रा ने दो टीमे गठित की थी। सेकेण्ड टीम मे श्री बी0एम0 पाल एस0आई0 टीम लीडर थे। उस टीम मे मै भी था। उस टीम मे श्री बी0एम0 पाल एस0आई0,श्री धमेन्द्र सिंह यादव एचसीपी,श्री राकेश कुमार त्यागी ,कां0 राजेन्द्र,कां0 ओमपाल व कमाण्डो मनोज,शशिभूषण आदि मय सरकारी गाड़ी चालक धीरेन्द्र सिंह थे। एसटीएफ आफिस से हम लोग 12.15 बजे चले। हमारी टीम रेजीडेंसी कैसरबाग के लिए चली। हम लोग रेजीडेंसी के पास बस अड्डे के पास पहुॅचे। हम लोगो ने आपस मे जामा तलाशी ले ली थी। किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं थी। पब्लिक का गवाह तलाशने की कोशिश की गई। नावक्त होने के कारण पब्लिक का कोई गवाह नहीं मिला। हमारी टीम को हाईकोर्ट तिराहे पर हिदायत मुनासिब देकर लगाया गया था। हम लोग किसी भी आतंकवादी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज सुनकर हम लोग जिधर से फायरिंग हो रही थी उस तरफ पहुॅचे। तब तक एक आतंकी को पिस्टल की स्लाईड खीचते हुए तथा दूसरे को बैग से ए0के0–47 निकालते हुए तेजी व फुर्ती के साथ समय करीब 2.40 ए.एम. पर पकड़ लिया। पकड़े गये आतंकवादियो से उनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू उर्फ पिन्टू बताया जिसके कब्जे से तलाशी में दाहिने हाथ से एक अदद एके0 47 व बांये हाथ से एक काले रंग का बैग के सामने की जेब से दो अदद मैगजीन जिसमे तीस–तीस कारतूस मिले थे। बैग के अन्दर से डेटोनेटर स्टील धातु के जिस पर हरे–पीले तार लगे थे। पांच हैण्ड ग्रेनेड एवं पीले रंग की प्लास्टिक की थैली से स्टील कलर की धातु,एक अलार्म घड़ी,एक 9 बोल्ट की बैटरी,इस्तेमाली कपड़े बरामद हुए थे तथा एक ट्रेन का टिकट लखनऊ से वाराणसी दिनांकित 30/06/07 बरामद हुआ था। एक डी/एल व रु0 3200/–नगद बरामद हुए। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक पिस्टल स्लाइड फंसी हुई मेड इन चायना चार खोखे,दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए। इसके पास के काले रंग के बैग से नीले रंग की पालीथीन,दो घड़ी, पन्द्रह हैण्ड ग्रेनेड दो हरे रंग की पट्टी,पट्टी के कपड़े वाले थैले जिसमे दो पैकेट मे हाई एक्सपोलोजिव जिसका वजन क्रमशः लगभग साढ़े चार किलो मौके पर तौला गया,बरामद हुआ था। पर्स से रुपये रु0 1855/–नगद,पीसीओ

स्लिप,टिकट बनारस से लखनऊ दिनांकित 22/06/07 व डी/एल बरामद हुआ था। जामा तलाशी को अलग–अलग रखकर चिटबंदी की गई। ए0के0–47 व पिस्टल व मैगजीन को अलग–अलग हार्ड पर रखकर सूत की रस्सी से बांधकर पोलीथीन लगाकर चिटबंदी की गई। बरामद हैण्ड ग्रेनेड एवं डेटोनेटर को उसी तरह से पोलीथीन लगकर चिटबंदी की गई। बरामदशुदा बैगो की भी अलग–अलग चिटबंदी की गयी। बरामद घड़ी को भी पोलीथीन लगाकर चिटबंदी की गई। फर्द मे पुलिस वालो द्वारा जो फायर किए गए थे उसका विवरण भी अंकित किया गया था। फर्द मौके पर विनय गौतम ने लिखी थी। फर्द पढ़कर मौके पर सुनकर उसपर अपने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।''

पी0डब्लू–5 एस0आई0 बृजमोहन पाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''दिनांक 23/06/07 को मैं एसटीएफ उत्तर प्रदेश,लखनऊ में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। मैं इस पद पर पूर्व से ही नियुक्त था। दिनांक 21/06/07 को लखनऊ मे हरकत–उल–जिहाद अल इस्लामी के दो आतंकवादी याकूब और नासिर गिरफतार किए गए थे जिनसे पूछतांछ में ज्ञात हुआ कि जलालुद्दीन मुल्ला उर्फ बाबू भाई व नौशाद नाम के हरकतउल जिहाद उल इस्लामी के दो फिदायीन आतंकवादी लखनऊ मे ही मौजूद है। इस जानकारी के आधार पर मुखबिर नियुक्त किए गए। दिनांक 22/06/07 को रात्रि करीब 11.30 बजे एसटीएफ कार्यालय में मुखबिर ने सूचना दी कि बाबू भाई एवं नौशाद नाम के उपरोक्त दोनो व्यक्ति अमीनाबाद के किसी होटल या मुसाफिरखाना मे रुके हुए है व देर रात या फजिर की नमाज से पहले कही बाहर निकलने वाले है तथा उनके पास भारी–भारी बैग है जिनमे असलहा या विस्फोटक सामग्री हो सकती है। यह भी सूचना दी गई कि इन दोनो ने अपने किसी परिचित को पीसीओ से फोन भी किया है। उपरोक्त सूचना पर दो टीमो का गठन किया गया। प्रथम टीम में निरीक्षकगण अभय नारायण शुक्ला व अविनाश चन्द्र मिश्रा,उप निरीक्षकगण डी0के0 शाही व विनय गौतम,हे0कां0 पंकज द्विवेदी व 9–10 अन्य फोर्स के व्यक्ति मय सरकारी गाड़ी थे। दूसरी टीम मे तीन उप निरीक्षकगण मै स्वंय,तथा उ0नि0 जितेन्द्र सिंह व धर्मेन्द्र सिंह यादव,हे0कां0 राकेश त्यागी,कां0 राजेन्द्र,कमाण्डो सुनील व कमाण्डो अरविन्द व चालक धीरेन्द्र सिंह बोलेरो गाड़ी नं0 यू0पी0–34/बी0जी0–0017 के साथ थे। पहली टीम के निरीक्षकगण ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले–देकर यह इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज असलहा या विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। इन्हीं दो निरीक्षकगण ने हमारी टीम के सभी व्यक्ति की भी जामा तलाशी लेकर यह इत्मिनान कर लिया कि किसी

के पास कोई संदिग्ध वस्तु नही है। इसके बाद करीब 12.15 बजे मध्य रात्रि एसटीएफ कार्यालय से दोनो टीम कैसरबाग बस अड्डे के लिए रवाना हुई। दोनो मे से किसी गाड़ी की तलाशी किसी निरीक्षक के द्वारा मेरे सामने नहीं ली गई। कैसरबाग बस अड्डे कुछ ही देर में पहुॅचकर गवाह फराहम करने की कोशिश की। नावक्त होने के कारण कोई गवाह नहीं मिला। मेरी टीम को निरीक्षक अविनाश मिश्रा द्वारा हाईकोर्ट तिराहे पर लगाया गया। करीब डेढ़ घंटे बाद हमें रेजीडेंसी तिराहे की तरफ फायरिंग की आवाज सुनाई दी। जब हमारी टीम को हाईकोर्ट तिराहे पर लगाया गया तो निरीक्षक अविनाश मिश्रा अपनी टीम के साथ कैसरबाग बस अड्डे के पास ही रुक गये थे। फायरिंग की आवाज सुनकर मै अपनी टीम के साथ आड़ लेते हुए छिपते छिपाते रेजीडेंसी तिराहे पर पहुॅचा। उस वक्त फायरिंग रुक गयी थी। हमने वहां पर दो व्यक्तियो को बैग लिए हुए पकड़ लिया। गिरफतारी दूसरी टीम ने हमारी मदद से की थी। यह गिरफतारी करीब 2.40 बजे पूर्वाहन हुई। गिरफतार व्यक्तियो ने पूछने पर अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू उर्फ पिन्टू तथा दूसरे ने अपना नाम नौशाद बताया। जलालुद्दीन की जामा तलाशी मे उसके एक हाथ मे ए0के0 47 राइफल तथा बांये हाथ मे काले रंग का बैग था जिनमे सामने की जेब से दो मैगजीन,प्रत्येक मे 30–30 कारतूस भरे हुए तथा 05 हैण्ड ग्रेनेड व एक क्वार्टज घड़ी और एक टिकट लखनऊ से बनारस का बरामद हुआ। इसके अलावा कुछ डिटोनेटर रुई मे लिपटे हुए भी बरामद हुए। नौशाद के हाथ मे एक 7.62 पिस्टल जिसमे दो जिन्दा कारतूस व स्लाइड फंसी हुई थी और चार खोखे,15 हैण्ड ग्रेनेड व 5 डिटोनेटर तथा दूसरे हाथ मे लिए हुए बैग मे दो पालीथीन मे हाई एक्स0 भी मिला जिनका वही तराजू से वजन किया गया तो एक मे 4.45 किलोग्राम व दूसरे मे 4.55 किलोग्राम पदार्थ पाया गया। नौशाद के हाथ मे केवल पिस्टल थी बाकी सभी सामान दूसरे हाथ मे लिए बैग में था। नौशाद के पास बनारस से लखनऊ के टिकट भी बरामद हुए थे। दोनो व्यक्तियो के पास से नकद रुपया भी बरामद हुए थे जो दो से ढाई हजार रुपये होगें। बरामद समान को अलग–अलग चिटबंदी करते हुए ए0के0 47 राइफल व 7.62 पिस्टल को अलग–अलग गत्ते पर रखकर धागे से बांधकर उन पर पन्नी लगाकर सील मोहर किया। शेष बरामद माल को अलग–अलग जिन व्यक्तियो के थे उन्हीं मे बना रहने दिया। हैण्ड ग्रेनेड को अलग,डिटोनेटर को अलग,क्वार्टज को अलग तथा एक्सप्लोसिव को अलग चिटबंदी करके जिन–जिन मुलजिम से बरामद थे उन्ही के बैग मे उनके नाम लिखकर सील मोहर कर सर्वमोहर किया। नमूना मोहर तैयार किया। पूछतांछ पर इन दोनो व्यक्तियो ने बताया कि हमारे दो साथी पीछे से रिक्शे मे आने वाले थे लेकिन हमें गिरफतार होना जानकर दोनो भाग गये। निरीक्षक

अविनाश मिश्रा द्वारा हमारी टीम को उन दोनो भागने वाले व्यक्तियो की तलाश मे उस दिशा मे भेजा गया जिस तरफ से उनके आने की उम्मीद थी लेकिन हमे उनकी गिरफतारी में सफलता नहीं मिली। मौके पर निरीक्षक अविनाश मिश्रा ने एसआई विनय गौतम को बोल–बोलकर फर्द तैयार करायी। फर्द पर हम सभी मौजूद पुलिस कर्मियो के हस्ताक्षर कराकर गिरफतार शुदा मुलजिमान को फर्द की नकल दी गयी तथा दस्तखत कराये गये। फर्द पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।

पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा–निरीक्षक सत्र परीक्षण सं0 159/08 व 281/07 के वादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किये है कि ''दिनांक 23/06/07 को मैं ए0टी0एस0,लखनऊ मे निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। हम लोगो को सूचनाये मिली कि आतंकवादी संगठन हरकल उल जेहाद अल इस्लामी जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। यह संगठन भारत में सीमावर्ती देशो में भारत देश के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओ को अंजाम देने के उद्देश्य से ट्रेनिंग,हथियार,विस्फोटक पदार्थ सामान मुहैया करवाकर आतंकवादी घटनाओ को अंजाम देते है। इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त देव तिवारी,निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला कां0 अनिल सिंह व मुझे लगाया गया। यह ज्ञात हुआ कि हिन्दुस्तान से धर्म के नाम पर गुमराह करके हिन्दुस्तान को बंगलादेश,ढाका के माध्यम से लोगो को पाकिस्तान भेजा जाता है। ज्यादातर उन लोगो को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास जायज पासपोर्ट होते है। उनके जायज पासपोर्ट बंगलादेश में जमा करवाकर वहां से इनके नकली पासपोर्ट बनवाकर ढाका से कराची भेजा जाता है और इसी क्रम मे इनको ट्रेनिंग के पश्चात वापस भेजा जाता है। पाकिस्तान के निर्जन पहाड़ी इलाको मे ट्रेनिंग कैम्प बने हुए है वहां पर इन लोगो को धार्मिक रुप से हिन्दुस्तान के विरुद्ध उन्मादित करके अस्त्र शस्त्र चलाने,विस्फोटक पदार्थ तैयार करने व उनको विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इनको वापस भारत इस निर्देश के साथ भेज दिया जाता है और इनको टार्गेट के रुप मे धार्मिक संवेदनशील स्थान सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड क्वार्टर,वी0आई0पी0 पर्सन एवं भीड़भाड़ वाले स्थान बताये जाते है ताकि इन स्थानो पर अधिक से अधिक जानमाल का नुकसान कानून एवं व्यवस्था छिन्न–भिन्न जो जाये और संवैधानिक संकट पैदा हो जाये। इसी क्रम में उपरोक्त प्रतिबंधित संगठन के दो पाक प्रशिक्षित आतंकवादी दिनांक 21/06/07 को याकूब एवं नासिर की गिरफ्तारी के बाद मजीद पूछतांछ मे यह जानकारी मिली कि उनके दो साथी बाबू एवं नौशाद लखनऊ मे मौजूद है और उनके रुकने के स्थान उनके सम्पर्क सूत्र एवं उनके हुलिया की जानकारी दी। इस सूचना को और अधिक विकसित करने

के उद्देश्य से टीम व मुखबिर को मामूर किया गया। इसी क्रम में दिनांक 22/06/07 को मुखबिर द्वारा एस0टी0एफ0 कार्यालय मे आकर यह सूचना दी कि हरकत उल जेहाद इस्लामी के दो आतंकवादी अमीनाबाद मे कही होटल या मदरसे पर रुके हुए है और पीसीओ से उन्होने अपने साथियो से बात भी की है और देर रात बस द्वारा कैसरबाग बस अड्डे से कहीं निकलने वाले है। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को अवगत कराकर दो टीमो का गठन किया गया। प्रथम टीम में साक्षी स्वंय,अभय नारायण शुक्ला,एस0आई0 विनय गौतम,एसआई डी0के0 शाही,हे0कां0 धीरेन्द्र,हे0कां0 पंकज,हे0कां0 प्रदीप कुमार,हे0कां0 बराती लाल,आदि को मय असलहा व सरकारी गाड़ी मय चालक के व दूसरी टीम मे एसआई बृजमोहन पाल,एसआई जितेन्द्र,एसआई धर्मेन्द्र,कां. ओमपाल,कां0 राजेन्द्र आदि मय असलहे व सरकारी गाड़ी के रवाना होकर एसटीएफ कार्यालय से मुय मुखबिर के नया बस अड्डा कैसरबाग पहुॅचे। हम लोगो ने आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई गोला बारुद व नाजायज असलहा नहीं है। जनता के गवाह लेने का प्रयास किया। नावक्त होने के कारण गवाह नहीं मिल सका। गाड़ियो को वहां मौजूदा आड़ मे खड़ी करवाकर प्रथम टीम दक्षिणी तिराहे रेजीडेंसी के सामने जो मेरे स्वंय मे नेतृत्व मे थी व दूसरी टीम हाईकोर्ट तिराहे पर लगायी गयी। मुखबिर मेरी टीम मे था तथा आतंकवादियो के आने का इंतजार करने लगे। काफी समय बाद सीएमओ कार्यालय की तरफ से एक रिक्शे पर दो व्यक्ति बैठे हुए तिराहे पर आये और रिक्शे से अपना बैग आदि लेकर उतरे तब मुखबिर ने इशारे से बताया व दिखाया कि यही दोनो कुख्यात आतंकवादी है और चला गया। मैं टीम के साथ सावधानी व सर्तकतापूर्वक आगे बढ़ा। शक होने पर दोनो व्यक्ति अपने–अपने बैग लेकर तेजी से रेजीडेंसी की तरफ अंधेरे में चलने लगे तब मैने बुलंद आवाज मे अपना परिचय देते हुए उन्हें रुकने के लिए कहा तब अचानक उनमे से एक व्यक्ति ने हम लोगो को जान से मार देने की नियत से फायर करने लगा जिसमे मै स्वंय, निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,एस0आई0 धर्मेश याही,हे0कां0 पंकज,हे0कां0 विनोद बाल–बाल बच गये। हम लोगो ने बदमाशो की फायरिंग व अंधेरा होने के बावजूद भी गिरफतारी की नियत से आगे बढ़े तो उन्होनें पुनः जान से मारने की नियत से हम लोगो पर फायर किये। गिरफतारी का अन्य कोई रास्ता न देखकर हम लोगो द्वारा आत्म रक्षार्थ व नियंत्रित जवाबी फायर किये तो आतंकवादियो की तरफ से फायर आना बंद हो गये व उनकी आपस में फुसफुसाहट जैसे आवाजे सुनवाई देने लगी तभी दूसरी टीम भी मदद के लिए आ गयी। पुलिस सिखलाई व अंधेरे का फायदा लेते हुए तेजी के साथ क्रोलिंग करते हुए आतंकवादियो की तरफ बढ़कर एक

आतंकी को पिस्टल की स्लाइड खींचते हुए व दूसरे को बैग से ए0के0 47 निकालते हुए समय करीब 2.40 बजे ए0एम0 पर पकड़ लिया। पकड़े हुए आतंकवादियो से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू उर्फ पिन्टू उर्फ अमानउल्ला मण्डल बताया। जामा तलाशी पर दाहिने हाथ से अदद ए 0के0–47 व बांये हाथ मे पकड़े काले बैग की सामने की पाकेट से दो मैगजीन जिसमे 30–30 राउण्ड कारतूस,बैग में पांच हैण्ड ग्रेनेड,एक क्वार्टज अर्लाम क्लाक,पीसीओ की पर्ची व नगद रुपया आदि बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम नौशाद उर्फ साबिर उर्फ हाफिज बताया। उसके दाहिने हाथ से एक स्लाइड फंसी हुई पिस्टल 7.62 बोर जिसपर 30 माउजर मेड न चाइना लिखा था,दो जिन्दा कारतूस वही पर चार खोखा कारतूस व काले रंग के बैगसे दो क्वार्टज घड़ी व हाई एक्सपोलोसिव पैकेट जिसका वजन 4.45 किलोग्राम था मौके पर तराजू से वजन करवाया गया,बामद हुआ। इसके अलावा नगद,ट्रेन का टिकट,ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद हुए। बरामद ए0के0 47,पिस्टल,घड़ियो को एक हाईबोर्ड मे रखकर मय मैगजीन,कारतूस के डोरी से बांध्कर चिटबंदी की गयी। एक्सप्लोजिव,हैण्ड ग्रेनेड,डेटोनेटर को उसी बैग में रखकर अलग–अलग बरामदगी के अनुसार चिटबंदी की गई। पूछतांछ पर इन लोगो ने हमारे साथ दो आदमी बंगला देशी जैसे पीछे रिक्शे मे और थे जिन्हे हमारी मदद के लिए आज ही भेजा गया था जिनके नाम नहीं जानते। शायद आप लोगो को देखकर भाग गये। इन दोनो की तलाश हेतु एसआई बृजमोहन पाल,एसआई धमेन्द्र आदि को भेजा गया। परन्तु यह लोग नहीं मिल पाये। पूछतांछ पर बाबू उर्फ जलालुद्दीन ने बताया कि वह हरकतुल इस्लामी संगठन का पुराना प्रशिक्षित सदस्य है। काफी समय पहले बंगलादेश ढाका के रास्ते से होकर आतंकी जेहाद की ट्रेनिंग ली थी। जिसमे भारत के विरुद्ध आतंकी घटनाओ को अंजाम देने की ट्रेनिंग,ए0के0–47,पिस्टल को चलाने व विस्फोटक पदार्थ बनाने व विस्फोट करने की ट्रेनिंग के अलावा भारत मे विभिन्न जगहो पर विस्फोटक पदार्थ पहुॅचाने व भारत से लड़को को बहला–फुसला कर आतंकी जेहादी ट्रेनिंग कराने हेतु पाकिस्तान भेजना व ट्रेनिंग के बाद उन प्रशिक्षित आतंकियो को सम्पर्क में रखना बताया गया। इसके अलावा इस संगठन को व जेहाद की मदद हेतु अपने साथियो के साथ मिलकर खादिम शू कम्पनी के मालिक का अपरण करके 5 करोड़ रुपये की फिरौती वसूली थी जिसका उपयोग जेहाद के काम में किया गया है तथा ढाका से आयी आरडीएक्स मे से उसके द्वारा 40 किग्रा आरडीएक्स बनारस अपने साथियो को व 20 किग्रा आरडीएस बाम्बे व 30 किग्रा0 आरडीएक्स दिल्ली विस्फोट करवाने हेतु भेजना बताया और बताया कि इन सभी स्थानो पर विस्फोट करवा भी चुका हूॅ। दूसरे अभियुक्त नौशाद ने बताया कि मुझे

देवबंद मे अब्दुल रहमान ने आतंकी ट्रेनिंग हेतु ढाका मे नाटा के पास भेजा। वहां से मुझे पाकिस्तान भेजा गया। वहां पर मुझे ए0के0 47 पिस्टल व हैण्ड ग्रेनेड चलाने,डेटोनेटर आदि से विस्फोट करना आरडीएक्स आदि से विस्फोट करना सिखलाया गया। ट्रेनिंग के बाद मै हिन्दुस्तान आकर बाबू के सम्पर्क मे रहा। नाटा ने बाबू के माध्यम से मझे अस्सी हजार रुपये भिजवाये और धामपुर मे एक कमरा लेने को कहा ताकि उस कमरे में आतंकवादियो को ठहराया जा सके व विस्फोटक आदि भी रखा जा सके। मैने धामपुर मे बंद कमरा भी ले लिया था इन दोनो आतंकवादियशे को उनके जुर्म से अवगत करवाकर हिरासत में लिया गया मौके पर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी एस0आई0 विनय गौतम ने तैयार किया। इस साक्षी ने फर्द को प्रदर्श क–1.अ के रुप में साबित किया। साक्षी ने ए.के.–47,पिस्टल,दो मैगजीन व कारतूस,खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–71 को साबित किया है तथा अभियुक्तगण की व्यक्तिगत तलाशी से बरामद समान रेलवपे टिकट,पीसीओ की रसीदे,घड़ी,डायरी,बैग का कैश मेमो,ड्राइविंग लाईसेंस,3200/–रुपये तथा 5500/–रुपये को भी वस्तु प्रदर्श 72 ता वस्तु प्रदर्श–90 के रुप मे साबित किया है।

पी0डब्लू–22 विनय गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ‘‘दिनांक 23/06/2007 को मै एसटीएफ,लखनऊ मे उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। हम लोग के इंचार्ज अनन्तदेव अपर पुलिस अधीक्षक थे। उनके दिशा निर्देशन मे श्री अविनाश मिश्रा टीम इंचार्ज थे। विगत कुछ दिनो से वरिष्ठ अधिकारियो को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबंधित संगठन हरकत उल जेहाद अल इस्लामी जो विधि विरुद्ध क्रिया कलाप मे संलिप्त है एवं प्रतिबंधित संगठन है जो भारत वर्ष मे अस्थिरता फैलाने,राष्ट्र विरोधी क्रिया कलापो,पड़ोसी देश की जमीन पर भाड़े पर लिए गये युवको को दिग्भ्रमित कर भारत वर्ष के खिलाफ विध्वंसक कार्यवाही करने हेतु तैयार कराने और भारत वर्ष मे अस्थिरता फैलाना उनका प्रमुख कार्य है। यह सूचनाये हमे डीजीपी,उ0प्र0 व केन्द्रीय सूचना तंत्र के द्वारा प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के क्रम मे इन सूचनाओ को और विकसित करने निरीक्षक अविनाश मिश्रा,निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,कां0 अनिल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया जिन्होनें सूचनाओ किो विभिन्न स्रोतो से यह सूचना विकसित की कि हरकत उल जेहाद अल इस्लामी के प्रशिक्षित फिदाइन आतंकवादी विध्वसंक कार्यवाही करने को,धार्मिक उन्माद व हिंसक कार्यवाही के लिए पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग लेकर भारत वर्ष मे आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ घुसपैठ कर चुके है। इसमे उन व्यक्तियो को

विशेष रुप से वरीयता दी जाती है जो भारत वर्ष के नागरिक हो तथा पासपोर्ट धारक हो। इन लोगो को एजेन्ट के जरिये बंगलादेश लाया जाता है जहां पर इनका वैध पासपोर्ट जब्त कर फर्जी पासपोर्ट तथा पाकिस्तान का वीजा लगाकर हवाई जहाज से कराची भेज दिया जाता है। कराची से 7–8 घंटे का सफर तय कर पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैम्प मे भेजा जाता है। जहां पर शस्त्र व विस्फोटक की ट्रेनिंग देकर धार्मिक उन्माद बनाया जाता है। ट्रेनिंग के पश्चात इनको वापस उसी मार्ग से भारत भेज दिया जाता है। दिनांक 21/06/07 को इसी संगठन के एक आतंकवादी याकूब को मेरे द्वारा थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत अरेस्ट किया गया जिसके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई थी। इससे पूछतांछ मे यह जानकारी प्रकाश मे आयी कि इसी संगठन के अन्य आतंकवादी बाबू व नौशाद भी लखनऊ मे कहीं टिके हुए है जिनके पास विस्फोटक व आग्नेयास्त्र मौजूद है। इसी क्रम मे निरीक्षक अविनाश मिश्रा को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि बाबू व नौशाद अमीनाबाद के किसी होटल या सरांय मे रुके है। यह रात मे कहीं निकलने वाले है। इस पर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो से वार्ता कर दिनांक 22/06/07 समय 11.30 पी.एम. एसटीएफ कार्यालय से दो टीम बनाकर मय मुखबिर 12.15 बजे रवाना होकर नया बस अड्डा कैसरबाग पहुँचे। मै इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की टीम में था। मेरे साथ मेरी टीम मे अभय नारायण शुक्ला,धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज द्विवेदी,हे0कां धीरेन्द्र कुमार व विनोद मिश्रा आदि थे। दूसरी टीम मे एसआई बी0एम0 पाल,एसआई जितेन्द्र कुमार,एसआई धर्मेन्द्र व अन्य पुलिस कर्मी थे। हम लोगो ने गवाह तलाशने की कोशिश की। लेकिन नावक्त होने के कारण कोई नहीं मिला। हम लोगो ने आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु तो नहीं है। हम लोग प्रथम टीम के साथ बस अड्डे के पास दक्षिणी तिराहे रेजीडेंसी के पास गाड़ाबंदी करके खड़े हो गये। दूसरी टीम को हाईकोर्ट तिराहे पर लगाया गया। फिर उसके बाद हम लोग इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दो लोग रिक्शे पर सवार सीएमओ आफिस की तरफ से आये और तिराहे पर उतरे जिनके साथ मे हैण्ड बैग था। मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वही कुख्यात आतंकवादी है। हम लोग सावधानीपूर्वक उन व्यक्तियो को ओर बढ़े कि दोनो व्यक्ति पीछे मुड़कर तेज कदमो से चलने लगे। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने अपना परिचय देकर बुलंद आवाज मे टोका व रोका तो एक व्यक्ति ने हम पुलिस वालोपर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। हम लोगो ने भी संयमित फायरिंग की और दूसरी टीम की मदद से 2.40 बजे दो व्यक्तियो को गिरफतार कर लिया। उनका नाम पता पूछते हुए उनकी जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना

नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू बताया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नौशाद बताया। बाबू के पास से दाहिने हाथ से एक ए0के0 47 बांये हाथ से एक बैग बरामद हुआ। बैग से दो मैगजीन ए0के0 47 जिसमे कारतूस भरे हुए थे। 05 हैण्ड ग्रनेड,10 डेटोनेटर,क्वार्टज अलार्म घड़ी,बैटरी,कैश मेमो व रुपये 3200/– बरामद हुए। नौशाद के दाहिने हाथ से एक पिस्टल व बांये हाथ से बरामद बैग से 15 हैण्ड ग्रेनेड एवं दो पैकेट मे करीब साढ़े चार–चार किग्रा0 हाई एक्सप्लोसिव,ट्रेन के टिकट व 1855/–रुपये बरामद हुए। जिनको मौके पर ही लिफाफे व पोलीथीन बैग व गत्ते के डिब्बे मे रखकर चिटबंदी की गई। ए0के0 47 व पिस्टल को हार्ड बोर्ड पर रखकर चिटबंदी की गई। डेटोनेटर व हैण्ड ग्रेनेड को प्लास्टिक डिब्बे मे रखकर चिटबंदी की गई। दोनो ने पूछतोंछ पर बताया कि हमारे पीछे रिक्शे मे दो बंगलादेशी और आ रहे थे जो आप लोगो को देखकर पीछे से ही गायब हो गये। उन लोगो की तलाश हेतु दूसरी टीम को लगाया गया परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। बरामद असलहो,हाई एक्सप्लोसिव को मौके पर ही सर्वमोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया। बैग से बरामद कपड़ो को उसी बैग में रखकर सील किया गया। साक्षी ने फर्द बरामदगी व गिरफतारी पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।''

11. पी0डब्लू–1 रामनयन सिंह,पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला,पी0डब्लू–3 सत्येन्द्र सिंह,पी0डब्लू–9 कुलदीप तिवारी,पी0डब्लू–19 जयशंकर पांडे व पी0डब्लू–20 मनोज यादव दिनांक 11/07/2007 की बरामदगी के साक्षी है। पी0डब्लू–1 राम नयन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''दिनांक 11/07/2007 को मै पुलिस उपाधिक्षक जनपद लखनऊ के पद पर तैनात था। मै अ0सं0 281/07 धारा 115,120बी,121,121ए,122,124ए,307 भा0दं0सं0 व 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप नि0अधि09 थाना वजीरगंज की विवेचना कर रहा था। दौरान विवेचना न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्तगण मो0 अली अकबर हुसैन,अजीजुल रहमान सरदार,शेख मुख्तार हुसैन का पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया था। उनसे पूछतांछ की गई। पूछतांछ के दौरान तीनो व्यक्तियो ने स्वीकार किया कि दिनांक 23/06/07 को जलालुद्दीन उर्फ बाबू एवं नौशाद के पकड़े जाने की सूचना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर लगे टी0वी0 मे सुबह के समय समाचार से प्राप्त होने पर जीप से रायबरेली रोड की तरफ निकल गया था। जीप आगे जाकर रुकी तो हम लोगो ने जगह का नाम चालक से पूछा तो चालक ने बताया कि पीजीआई के आगे है। उस पर हम तीनो लोग वही उतर गये तथा सड़क के दाहिनी पटरी पर एक टूटी पक्की कोठरीनुमा जगह की पिछली दीवार के पास से विस्फोटक

छिपाकर रखा है। विस्फोटक पदार्थ व हैण्ड ग्रेनेड आदि हम लोग चलकर बरामद करवा सकते है। उनकी बातो पर विश्वास करके सम्पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम करके बाला–बाला एसटीएफ टीम को पुलिस लाईन मे तलब किया गया। मै पुलिस उपाधिक्षक,हमराह कां0 ओंकार मौर्य,कां0 अरविन्द कुमार,कां0 इन्द्रजीत सिंह,कां0/चालक बनारसी लाल,कां0 मो0 शब्बीर मय जीप सरकारी एवं एसएसआई कुलदीप तिवारी मय अभियुक्त सुरक्षा गार्ड के जिनके नाम शमशेर बहादुर सिंह,हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद यादव,हे0कां0 भीमशंकर पांडे व 11 पीएसी बटालियन के हे0कां0 राजमन प्रसाद आदि पुलिस फोर्स व एसटीएफ के अधिकारी व कर्मचारी जिनके नाम फर्द में लिख दिये गये,के साथ पुलिस अभिरक्षा मे दो अन्य गाड़ियो के साथ अभियुक्तगण शेख मुख्तार हुसैन,अजीजुर्रहमान व मो0 अली अकबर हुसैन को लेकर गाड़ियो से मय फोर्स रायबरेली रोड पर एसजीपीजीआई के आगे अभियुक्तगण द्वारा बताये गये रास्ते पर धीरे–धीरे बढ़े कि 3 किमी0 आगे पहुॅचने पर अभियुक्तगण द्वारा एक स्थान पर एस0के0 जैन ईट भट्ठे के सामने सड़क के दाहिने पटरी पर पुलिस वाहन को रुकवाकर दाहिनी पटरी पर बनी ईटो की एक कोठरी मे ले गये जिसमे कोई दरवाजा नहीं था। अभियुक्तगण ने आगे चलकर कोठरी की पिछली दीवार के मध्य मे कच्ची जमीन की तरफ इशारा करके बताया कि यही पर हम लोगो ने भागते समय विस्फोटक पदार्थ,हैण्ड ग्रेनेड आदि जो एक पैकेट मे है,जमीन मे दबारख रखा है। मौके पर अभियुक्तगण की निशांदेही पर सावधानी पूर्वक दीवार का सहारा लेकर मोके पर इन्ही से मिट्टी खुदवाया गया तो एक पोलीथीन मे खाकी टेप से लिपटा हुआ एक पैकेट बरामद हुआ। टेप को हटाकर देखा गया तो एक लाल रंग की पोलीथीन मे जिसमे इंगलिश मे लिखी बाते जो फर्द मे लिख दी गई थी,रुई से लिपटे खाकी रंग के टेप चढ़े अलग–अलग 10 हैण्ड ग्रेनेड व 10 डेटोनेटर जिन पर पीले,हरे,सफेद दो–दो तार लगे थे,बरामद हुए थे तथा एक अन्य पोलीथीन बैग जिस पर अंग्रेजी मे कुछ लिखे थे जिसे फर्द मे लिख दिया गया,जिसमे एक पैकेट से खाकी टेप जिसके अन्दर 9 अदद विस्फोटक पदार्थ पी0ई0–3ए प्रत्येक विस्फोटक पदार्थ की छड़ पर लिखा था एवं सफेद कागज मे लिपटा जिसका वजन लगभग 2 किग्रा0 था,बरामद हुआ था। बरामदशुदा उपरोक्त विस्फोटक पदार्थ,विस्फोटक सामान व लिफाफा आदि को देखकर अभियुक्तो ने बताया कि यही वह सामान है जो हमने भागते समय यहां पर छिपाकर रखा था और अब आपको बरामद करवा दिया। उपरोक्त विस्फोटक सामान आदि को सावधानी पूर्वक कब्जे पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के पूर्व जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया लेकिन जनता के लोगो द्वारा अभियुक्तो के आतंकवादी होने के कारण भयवश गवाही देने से

मना कर दिया। मौके पर फर्द तैयार की गई। साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 को साबित किया है।''

पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''दिनांक 11/07/07 को मै एसटीएफ,उ0प्र0 में निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। सी0ओ0 श्री आर0एन0 सिंह के तलब करने पर मै निरीक्षक मय इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा,एसआई सतेन्द्र सिंह,एस0आई0 श्री जे0पी0 पांडे व अन्य फोर्स के साथ पुलिस लाइन,लखनऊ पहुॅचा व सी0ओ0 श्री रामनारायण सिंह से मिला तो उन्होनें बताया कि रिमाण्ड पर लिए गए आतंकवादी अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान व शेख मुख्तार ने लखनऊ से भागते वक्त पीजीआई के आगे किसी खण्डहर मे विस्फोटक सामग्री गाड़ रखी है जिसको बरामद करवाना बता रहे है। तब मैं निरीक्षक अपनी एसटीएफ टीम के साथ आतंकवादी की सुरक्षा मे सी0ओ0 आर0एन0 सिंह के मय फोर्स वाहन वज्र मय पुलिस गारद के रायबरेली रोड पर गये। पीजीआई के आगे पहुॅच कर धीरे–धीरे चलते हुए जैन भट्ठे वाले के सामने दाहिनी पटरी पर बने खण्डहर जिसमे दरवाजे नहीं लगे थे,व्रज वाहन से आतंकवादी को सुरक्षा मे उतारकर बने मकान के पश्चिमी दीवार के पास जाकर जमीन पर इशारा किया कि यही पर हम लोगो ने विस्फोटक सामग्री एक पैकेट मे गाड़ी हैं। इस पर सी0ओ0 साहब ने सावधानीपूर्वक उस स्थान को खुदवाया तो एक पैकेट जिसमे खाकी रंग का टेप चिपका हुआ था उसके अनदर से 10 हैण्ड ग्रेनेड व दस डेटोनेटर स्टील कलर के जिस पर हरे पीले व सफेद कलर के दो–दो तार लगे हुए थे तथा दूसरी पोलीथीन मे नौ अदद विस्फोटक पदार्थ जिस पर पीई–3ए हर छड़ पर लिखा था तथा सफेद कागज में लिपटा था जिसे देखकर अभियुक्तो ने बताया कि यह वही सामान है जो हमने भागते समय यहां गाड़ दिया था। बरामद सामान को सीओ साहब ने सावधानीपूर्वक अपने कब्जे मे लेकर फर्द तैयार करायी । फर्द पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।''

पी0डब्लू–3 सत्येन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''मै दिनांक 11/07/2007 को उप निरीक्षक पद पर लखनऊ मे तैनात था। एस0टी0एफ0 मे उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। इस दिन मै निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,निरीक्षक अविनाश मिश्रा,उप निरीक्षक जे0पी0 सिंह,उप निरीक्षक अमर सिंह,हे. कां. धीरेन्द्र सिंह,हे.कां0 पंकज द्विवेदी व अन्य हमराही फोर्स के साथ एसटीएफ मुख्यालय से समय लगभग 12.00 बजे सरकारी वाहन से रवाना होकर पुलिस लाईन

लखनऊ पहुॅचा। वहां पर डिप्टी एस0पी0 श्री आर0एन0 सिंह साहब मिले। उनके द्वारा तीन अभियुक्त शेख मुख्तार हुसैन,शेख अजीजुर्रहमान,अली अकबर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए हुए थे। डिप्टी एस.पी. श्री आर.एन. सिंह ने बताया कि दिनांक 23/06/07 को जलालुद्दीन उर्फ बाबू ने गिरफतार होने के पश्चात लखनऊ से भागते हुए इन तीनो ने पी0जी0आई0 के आगे कहीं जैन भट्ठे के पास विस्फोटक छिपाये है जो यह चलकर बरामद करवाना बताते है। इन तीनो की सुरक्षार्थ आप लोगो को हमारे साथ चलना है। इसके पश्चात तीनो अभियुक्तो को बज्र वाहन मे मय गादर के बिठाकर श्री आर.एन. सिंह बज्र वाहन के आगे अपनी जीप से चले। हम सभी लोग मय मुलजिमान पीजीआई के आगे जैन भट्ठे के पास दाहिनी तरफ उतरे। तीनो मुलजिमानो ने आगे–आगे चलकर सड़क के दाहिनी तरफ बनी एक पक्की कोठरी जिसमे दरवाजा नहीं था,को देखकर बताया कि यही पर हमने विस्फोटक छुपाया है और आगे चलकर कोठरी मे पहुॅचकर बताया कि कोठरी की पिछली दीवार के पास हमने विस्फोटक दबाया है। धीरे–धीरे डिप्टी एस.पी. आर.एन. सिंह द्वारा मिट्टी हटाकर खोदा गया तो एक पालीथीन बरामद हुई जो खाकी टेप से लिपटी हुई थी। डिप्टी एस.पी0. महोदय द्वारा उसको खोलकर देखा गया तो उसमे दस हैण्ड ग्रेनेड,दस डेटोनेटर जिसमे दो तार निकले हुए थे और नौ पी.ई. छड़ बरामद हुई। डिप्टी एस.पी. आर.एन. सिंह द्वारा मौके पर फर्द बोलकर श्री कुलदीप तिवारी द्वारा लिखी गयी। फर्द पढ़कर सुनायी गयी जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। उसके बाद बरामद माल मय मुलजिमान थाना मोलनलालगंज गये जहां पर श्री एन.एन. सिंह डिप्टी एस.पी. द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया।''

पी0डब्लू–9 कुलदीप तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि'' दिनांक 11/.7/07 को मै एसएसआई वजीरगंज,लखनऊ के पद पर तैनात था। उस दिन क्षेत्राधिकारी श्री आर0एन0 सिंह के साथ पुलिस कस्टडी रिमांड के अभियुक्तगण मो0 अली अकबर हुसैन,शेख मुख्तार व अजीजुर्रहमान को लेकर एस.जी.पी.जी.आई. के आगे लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग पर एस0के0जैन ईट भट्ठे के पास लेकर गये थे। सी0ओ0 साहब के द्वारा उपरोक्त तीनो मुलजिमान को मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था। सी.ओ. साहब के साथ उनके हमराही कां0.मोहर्रिर शब्बीर,कां0 ओंकार सिंह,एसटीफ के निरीखक अभय नारायन शुक्ला,निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा,एसआई जे0पीव पांडे व अन्य पुलिस फोर्स था। वहां पर अभियुक्तगण द्वारा सड़क के किनारे बनी कोठरी मे ले जाकर जमीन मे गड़ा हुआ दस हैण्ड ग्रेनेड,10 डेटोनेटर व 9 छड़ वजन करीब 02 किलोग्राम पीई–3ए

विस्फोटक पदार्थ बरामद करवाया था। फर्द मौके पर सी0ओ0 साहब द्वारा बोलकर मेरे द्वारा लिखी गयी थी जिसको सी0ओ0 साहब ने बोला था मैने फर्द मे वही लिखा था। फर्द व माल मुलजिमान सभी को ले करके थाना मोहनलालगंज गये थे वहां सी0ओ0 साहब ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था। गवाह को प्रदर्श क–1 देखकर कहा कि यहवही फर्द है जो सी0ओ0 साहब के बोले जाने पर मेरे द्वारा लिखी गयी। मुलजिमान को देकर उस पर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये थे।''

पी0डब्लू–19 जयप्रकाश पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''दिनांक 11/07/07 को एसटीएफ लखनऊ यूनिट के पद पर तैनात था। उस दिन इंस्पेक्टर अभय नारायण शुक्ला के साथ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के निर्देश पर पुलिस लाइन लखनऊ,अविनाश मिश्रा व अन्य उप निरीक्षक व हमराहीगण के साथ गया था। जहां से पुलिस उपाधिक्षक श्री आर0एन0 सिंह द्वारा रिमाण्ड पद लिये गये अभियुक्तगण अली अकबर आदि तीन नफर अभियुक्तो से पूछतांछ की गयी थी जिसकी बरामदगी व सुरक्षा मे हमराह रहकर सभी अधिकारीगण के साथ ब्रज वाहन,टवेरा व अन्य वाहन के साथ मोहनलालगंज की तरफ रायबरेली रोड पर पीजीआई पहुॅचे। थोड़ी दूर चलने के बाद रिमाण्ड पर लिए गए अभियुक्तगण जैन भट्ठे के पास रुकने का इशारा किया और स्वंय आगे–आगे चलकर दाहिनी पटरी पर बनी हुए खण्डहर टाइप की कोठरी के पास किनारे से बताया कि यही विस्फोटक सामान जो भागते समय छिपा कर रखा था यही पर गाड़कर छिपाया है। स्वंय खोदकर क्षेत्राधिकारी आर0एन0 सिंह व समस्त कर्मचारी की मौजूदगी मे मिट्टी हटाकर दो पोलीथीन निकाली जिसमे एक मे 10 हैण्ड ग्रेनेड व 10 डिटोनेटर जिसमे तार लगे थे और दूसरी पोलीथीन मे विस्फोटक सामग्री निकालकर दिया जिसको क्षेत्राधिकारी ने अपने कब्जे मे लेकर लिखा–पढ़ी की। फर्द उप निरीक्षक कुलदीप तिवारी को बोल–बोलकर लिखवाया। फर्द पर मेरे हस्ताक्षर है। फर्द मैने पढ़ी थी। गवाह को प्रदर्श क–1 दिखाया गया तो इसने कहा कि यही फर्द है जो मौके पर तैया की गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है।''

पी0डब्लू–20 मनोज यादव फर्द प्रदर्श क–1 के जन साक्षी है। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए गए है कि ''आज से दो साल चार महीने पहले की घटना हैं। मै हरकंसगढ़ी थाना मोहनलालगंज मे रहता हूॅ जो रायबरेली रोड पर स्थित है। वहीं पर जैन साहब का भट्ठा था। दिन का लगभग ढाई बजे का समय रहा होगा। वहां पर पुलिस की 3–4 गाड़ियां आयी थी। उसमे से पुलिस वालो के साथ

03 लोग उतरे और वहां पर बनी कोठरी मे गये। वहां पर जमीन खोदी गयी। उसमे से हथगोला बम आदि बरामद हुए थे। पुलिस वालो ने वही मौके पर लिखा पढ़ी की थी। मैने डर के मारे लिखा पढ़ी पर दस्तखत नहीं किया था। पुलिस वाले उन तीन लोगो का नाम ले रहे थे। आज उनके नाम मुझे याद नहीं है। पुलिस वाले बदमाशो के साथ बरामद सामान लेकर गये थे थे। पुलिस वाले मेरे पास आये थे। मैने जो देखा था उन्हें बता दिया था। बहुत दिन हो गये मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है।''

12. पी0डब्लू–6 हे0कां0 राम बहादुर सोनकर थाना वजीरगंज से सम्बंधित प्रकरण के चिक लेखक है। साक्षी ने यह कथन किए है कि दिनांक 23/06/07 को अविनाश मिश्रा निरीक्षक एस0टी0एफ0 02 नफर अभियुक्त मय फर्द व माल थाना वजीरगंज मे आये थे और फर्द के आधार पर चिक अ0सं0 208/07 किता की थी तथा माल मय नमूना मोहर भी मालखाने में रखा था। साक्षी ने चिक प्रदर्श क–2 को अपने लेख व हस्ताक्षर मे होना साबित किया है।

पी0डब्लू–7 हे0कां0 अनिल कुमार थाना मोहनलालगंज से सम्बंधित प्रकरण के जी0डी0 लेखक है और इस साक्षी ने यह बयान दिये है कि दिनांक 11/07/07 को थाना मोहनलालगंज मे हे0मो0 के पद पर कार्यरत रहते हुए एफआईआर के आधार पर जी0डी0 नं0 34 समय 16.00 बजे की कायमी की थी। साक्षी ने जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क–22 के रुप मे साबित किया है।

पी0डब्लू–8 कां0 अच्छे लाल उपरोक्त प्रकरण के चिक लेखक है और इस साक्षी ने कथन किए है कि दिनांक 11/07/2007 को थाना मोहनलालगंज मे मोहर्रिर के रुप मे तैनात रहते हुए 16.00 बजे चिक सं0 137/07 किता की थी। साक्षी ने चिक प्रदर्श क–3 को साबित किया है।

13. पी0डब्लू–10 जनक प्रसाद द्विवेदी,पी0डब्लू–11 बी0एस0 गर्बयाल,पी0डब्लू–12 चरण सिंह और पी0डब्लू–13 बलवंत कुमार चौधरी थाना मोहनलालगंज प्रकरण के विवेचक है। पी0डब्लू–10 जनक प्रसाद द्विवेदी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि दिनांक 11/07/07 को क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज के पद पर नियुक्त था और विवेचना प्राप्त हुई थी। अभियुक्तगण के बयान अंकित किए। थाना प्रभारी मोहनलालगंज से बम निरोधक दस्ते बुलवाकर बमो को निष्क्रिय कराया व अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

वादी आर0एन0 सिंह व अन्य गवाहो के बयान अंकित किए तथा वादी अभय नारायन शुक्ला की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। अन्य गवाहो के बयान अंकित किए। साक्षी ने मानचित्र घटनास्थल प्रदर्श क–4 को साबित किया है।

पी0डब्लू–11 बी0एस0 गर्बयाल ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 29/07/07 को क्षेत्राधिकारी पुलिस मोहनलालगंज के पद पर तैनाते रहते हुए पूर्व क्षेत्राधिकारी चरण सिंह के ट्रांसफर क बाद विवेचना मेरे सुपुर्द हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला को माल भेजने के लिए पत्र लिखा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका विवरण अंकित किया। अभियोजन अनुमति प्राप्त करने के लिए जिला मजि0,लखनऊ को रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 08/10/07 को अभियुक्तगण अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान व शेख मुख्तार के विरुद्ध आरोप सं0 222/07 प्रदर्श क–5 प्रेषित किया। दिनांक 09/10/07 को जिला मजि0 की अनुमति प्राप्त हुई जिसका उल्लेख किया। साक्षी ने आरोप पत्र प्रदर्श क–5 व अभियोजन स्वीकृत प्रदर्श क–6 को भी साबित किया है।

पी0डब्लू–12 चरण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि दिनांक 11/09/07 को क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज के पद पर कार्यरत था। उस दिन विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। पूर्व विवेचना का अवलोकन किया। गवाहो के बयान अंकित किए।

पी0डब्लू–13 बलवंत कुमार चौधरी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिये है कि दिनांक 29/08/08 को क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज के पद पर तैनात था। उस दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अभियोजन अनुमति अ0सं0 237/07 मे प्रापत होने पर उसकी नकल केस डायरी मे की थी।

14. पी0डब्लू–1 राम नयन सिंह,पी0डब्लू–14 चिरंजीव नाथ सिन्हा,पी0डब्लू–16 विनय चन्द्र व पी0डब्लू–18 एस0आई0 आर0बी0 सरोज थाना वजीरगंज के प्रकरण के विवेचक है। विवेचना एस0आई0 आर0बी0 सरोज पी0डब्लू–18 ने प्रारम्भ की। साक्षी ने यह कथन किए है कि दिनांक 23/07/07 को थाना वजीरगंज मे एस0आई0 के पद पर तैनात था। अभियुक्तगण का बयान तथा मजीद बयानो मे अजीजुर्रहमान व अली अकबर हुसैन एवं शेख मुख्तार के नाम आने पर आगे की कार्यवाही

हेतु एसएसपी,एसटीएफ को पत्र भेजा। पत्र प्रदर्श क–8 को साबित किया है।

पी0डब्लू–1 राम नयन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 24/06/07 को वह क्षेत्राधिकारी चौक के पद पर तैनात थे और इस मुकदमे की विवेचना प्राप्त हुई। पूर्व विवेचना का अवलोकन किया। अन्य गवाहो के बयान अंकित किए। दिनांक 25/06/07 को न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर अभियुक्तगण जलालुद्दीन व नौशाद का बयान जेल में अंकित किया जिन्होनें अपने कथन मे अपने साथियो के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। अभियुक्त शेख मुख्तार हुसैन,मो0 अली अकबर हुसैन व अजीजुर्रहमान को सीआईडी कलकत्ता द्वारा गिरफतार करने की जानकारी होने पर अधिकारियो से अनुमति प्राप्त कर कलकत्ता पहुॅचा। अभियुक्तगण को रिमाण्ड पर लिया और लखनऊ मे लाकर न्यायालय मे पेश किया तथा जेल मे उपरोक्त अभियुक्ते के बयान अंकित किए तथा पुनः 27/07/07 को मजीद बयान अंकित किया। पुनः 09/07/07 को अभियुक्त अजीजुर्रहमान व अली अकबर हुसैन के मजीद बयान लिए जिसमे उनके द्वारा जलालुद्दीन की गिरफतारी के बाद अपने पास रखे गये विस्फोटक पदार्थ रायबरेली रोड पर छिपाकर भाग जाने की बात बतायी थी तथा दिनांक 11/07/07 को अभियुक्तगण मुख्तार हुसैन,अली अकबर हुसैन व अजीजुर्रहमान की निशांदेही पर विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। दिनांक 17/07/07 को अभियुक्त नूर इस्लाम उर्फ मामा को सीआईडी कलकत्ता द्वारा गिरफतार किए जाने के बाद ट्रांजिस्ट रिमाण्ड लेकर लखनऊ आया। उसका बयान अंकित किया तथा उसका मजीद बयान अंकित किया।

पी0डब्लू–14 चिरंजीव नाथ सिन्हा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि दिनांक 25/07/07 को बहैसियत क्षेत्राधिकारी चौक तैनात होने पर विवेचना प्राप्त हुई थी। अभियुक्त नूर इस्लाम का पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया तथा उसके बयानो के आधार पर उसकी निशांदही पर कानपुर–लखनऊ मार्ग पर उन्नाव बाई–पास से एक किलोमीटर पहले जनपद उन्नाव मे विस्फोटक पदार्थ बरामद किए और इसका अभियोग उन्नाव मे पंजीकृत कराया। माल परीक्षण हेतु भेजने के लिए थाना प्रभारी वजीरगंज को निर्देशित किया। अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करने हेतु उचित माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया। गवाहो के बयान अंकित किए। दिनांक 17/09/07 को अ0सं0 283/07 व 285/07 की परीक्षण रिपोर्ट मे चारकोल तथा कुछ विस्फोटक आर.डी.एक्स. आदि पाये जाने का उल्लेख केस डायरी मे

किया। दिनांक 19/09/07 को अ0सं0 282/07 व 284/07 मे जिला मजि0,लखनऊ की अभियोजन स्वीकृत प्राप्त हुई जिसका उल्लेख केस डायरी मे किया तथा दिनांक 20/09/07 को आरोप पत्र प्रदर्श क–9 लगायत प्रदर्श क–14 प्रेषित किया। साक्षी ने इसके अतिरिक्त जिला मजि0 की अभियोजन स्वीकृत प्रदर्श क–15 व प्रदर्श क–16 लगायत प्रदर्श क–18 को भी साबित किया है।

15. पी0डब्लू–15 महेश कुमार गुप्ता तत्कालीन गृह सचिव,उ0प्र0 शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृत प्रदान की गई है,ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभियोजन स्वीकृत प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 को अपने लेख व हस्ताक्षर मे होने की पुष्टि की है।

16. पी0डब्लू–17 अरविन्द कुमार सिंह प्लाटून कमाण्डर सुरक्षा संगठन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि दिनांक 15/09/07 को मै 33वीं वाहिनी पी0ए0सी0 मे प्रभारी बम डिस्पोजल दस्ते के पद पर नियुक्त था और पुलिस अधीक्षक,अधिष्ठान के आदेशानुसार थाना मोहनलालगंज पहुॅचा जहां 10 हैण्ड ग्रेनेड,10 डेटोनेटर व 09 हाई एक्सप्लोसिव छड़ को निष्क्रिय किया और उसके अवशेष को मुख्य आरक्षी आन्नद कुमार पांडे के सुपुर्द किया। साक्षी ने डिस्पोजल करने के प्रमाण पत्र को प्रदर्श क–24 के रुप मे साबित किया है।

17. मुख्य घटना दिनांक 22.06.07/23.06.07 की रात की है और उसके संदर्भ में अभियोजन ने जो साक्षी प्रस्तुत किए है वे सभी पुलिस कर्मी तथा मुठभेड़,गिरफ्तारी व बरामदगी पुलिस पार्टी के सदस्य है और हितबद्ध है। इस घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है परन्तु केवल इस आधार पर उनके बयानो को अविश्वसनीय ठहराकर खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही उनके मौखिक कथन का महत्व कम होता है। परन्तु हितबद्ध पुलिस कर्मी साक्षियो के बयानो के विश्लेषण मे सावधानी आवश्यक हो जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो के परिशीलन से पूरा अभियोजन कथानक सन्देहास्पद,अविश्वसनीय एवं अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां व भिन्नताये है और अप्राकृतिक परिस्थितियां हैं। फर्द में यह उल्लेख है कि जब इंस्पेक्टर अविनाश चन्द्र मिश्रा ने अपना परिचय देते हुए अभियुक्तगण को रुकने के लिए कहा तो अचानक एक व्यक्ति पुलिस वालो पर जान

से मारने की नियत से फायर करने लगा जिससे निरीक्षक अविनाश मिश्रा,अभय नारायन शुक्ला,एसआई धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज,धीरेन्द्र,विनोद व बराती लाल तथा हे0कां/ड्राइवर सुशील पांडे बाल–बाल बचे। आगे यह भी उल्लेख है कि आतंकियो की फायरिंग रेंज मे होने तथा अंधेरा होने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर गिरफतारी की नियत से अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन कर आगे बढ़े कि आतंकियो द्वारा पुनः जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। मुझ निरीक्षक व निरीक्षक अभय नारायन शुक्ला,एसआई धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज,धीरेन्द्र,विनोद व बराती लाल ने अपनी जान जोखिम मे डालकर व कर्तप्यनिष्ठा व पराकाष्ठा का परिचय देते हुए आतंकियो के निकट फायरिंग रेंज मे पहुॅचकर आत्म रक्षार्थ,संतुलित व नियंत्रित जबाबी फायरिंग की गई। जबाबी फायरिंग के उपरांत आतंकियो की तरफ से फायर आना बंद हो गया। उनकी आफस में खुसफुसाहट व खटखट जैसी आवाज सुनायी दी और तब पुलिस ट्रेनिंग का फायदा लेते हुए तेजी के साथ कोलिंग करते हुए आतंकियो को हाथ मे पिस्टल व ए0के0–47 लिए हुए मौके से गिरफतार कर लिया। पी0डब्लू–21 निरीक्षक अविनाश मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे फर्द के उपरोक्त कथनो के अनुरुप ही कथन किया है। साक्ष्य से यह भी स्थपित हो रहा है कि आतंकियो मे से एक आतंकी के द्वारा पिस्टल से 04 फायर किए गए और उसके जवाब में पुलिस पार्टी ने 06 फायर किए। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पुलिस पार्टी को पहले से यह सूचना थी कि आतंकवादी फिदाइन है तथा इनके पास बैग में विस्फोटक है। फर्द के अभिकथन व मौखिक साक्ष्य से यह भी स्थापित हो रहा है कि अभियुक्तगण ने अचानक पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरु की। फायरिंग के समय अभियुक्तगण और पुलिस पार्टी के बीच की दूरी बहुत कम थी। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में 5–6 मीटर की दूरी से फायर होने की बात कही है। फर्द के अभिकथनो तथा साक्षियो के बयानो से यह भी स्थापित है कि पुलिस पार्टी व अभियुक्तगण एक दूसरे की फायरिंग रेंज मे थे तथा अभियुक्तगण ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किए थे। परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी है। विवेचक को घटनास्थल पर फायरिंग के निशानत भी नहीं मिले है। पुलिस पार्टी जिस प्रकार फायरिंग रेंज मे होने के बावजूद आपरेशन को अंजाम देना बता रही है वह स्वंय मे अविश्वसनीय व अप्राकृतिक है। साक्ष्य के परिशीलन से यह भी स्थापित हो रहा है कि अभियुक्त नौशाद के द्वारा अपनी पिस्टल से फायर किया जा रहा था और 04 फायर के बाद पिस्टल की स्लाइड फंस जाने के कारण अभियुक्तगण की तरफ से फायरिंग होना बंद हुई थी। यह भी अभियोजन केस है कि अभियुक्तगण के पास

जो बैग थे उनमे हैण्ड ग्रेनेड व अन्य विस्फोटक बरामद किया गया। अभियुक्त जलालुद्दीन के पास ए0के0–47 राइफल भी थी परन्तु उसकी मैगजीन बैग के सामने की पाकेट मे रखी हुई थी। मैगजीन राइफल में लगी नहीं हुई थी। पी0डब्लू–5 एसआई बी0एम0 पाल जोकि घटना के समय दूसरी पुलिस टीम जो हाईकोर्ट तिराहे पर मौजूद थी,के सदस्य थे,की प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि हाईकोर्ट तिराहे से रेजीडेंसी तिराहे पर पहुॅचने पर उन्हें 5–7 मिनट लगा था। साक्ष्य से यह भी स्थापित हो रहा है कि दूसरी पुलिस पार्टी जो हाईकोर्ट तिराहे पर थी, के आ जाने के बाद तथा उनके सहयोग से अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया था। उपरोक्त से यह परिलक्षित हो रहा हे कि अभियुक्तगण के पास पर्याप्त समय व अवसर था कि वह बैग मे मौजूद हैण्ड ग्रेनेड का प्रयोग कर सकते थे जो अधिक प्रभावी होता परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई प्रयास न किया जाना पूरे घटनाक्रम को सन्देहास्पद बना देता है। प्रस्तुत अभियोजन साक्षियो के बयानो से यह भी स्थापित हो रहा है कि अभियुक्त नौशाद के पिस्टल की स्लाइड फंस जाने के कारण अभियुक्तगण की ओर से फायरिंग बंद हुई थी। न्यायालय में जब यह पिस्टल पेश की गयी तो उसकी स्लाइड फंसी हुई नहीं थी और पिस्टल चालू हालत में थी जिससे यह स्थापित हो रहा है कि पिस्टल की स्लाइड फंस जाने के कारण फायरिंग बंद होने की बात केवल गिरफतारी को आधार देने के लिए कहीं गयी है। पी0डब्लू–2 अविनाश मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे केवल 06 पुलिस कर्मियो अभय नारायन शुक्ला,धर्मेश शसाही,हे0कां0 पंकज,विनोद,धीरेन्द्र व स्वंय प्रत्येक के द्वारा एक–एक फायर किए जाने का कथन किया है। फर्द में उपरोक्त व्यक्तियो के अतिरिक्त हे0कां0 बराती लाल के द्वारा भी फायर किए जाने का उल्लेख है। इसप्रकार 07 पुलिस कर्मियो के द्वारा फायर किए जाने का अभिकथन है जबकि केवल 06 खोखे ही मिले है। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा ने अपने बयानो मे हे0कां0 बराती लाल के द्वारा भी फायर किए जाने का उल्लेख संभवतः इस कारण से नहीं किया है कि मौके पर केवल 06 खोखे ही मिले है। इसे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता है कि 06 पुलिस कर्मियो प्रत्येक के द्वारा जबाब मे केवल एक–एक फायर किया गया जबकि अभियुक्तगण की ओर से केवल एक अभियुक्त नौशाद के द्वारा पिस्टल से चार फायर किए गए।

उपरोक्त घटनाक्रम के संदर्भ मे साक्षियो के प्रतिपृच्छा के बयानो मे भी भिन्नताये एवं विसंगतियां है जोकि गंभीर प्रकृति की है। फर्द में यह उल्लेख है कि अभियुक्तगण सीएमओ आफिस की तरफ से आकर तिराहे पर रुके और अपने–अपने

बैग लेकर रिक्शे से उतरे। मुखबिर ने इशारा किया तब इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हमराहियान के साथ दोनो की तरफ सावधानीपूर्वक बढ़े। शक होने पर दोनो सकपका कर रेजीडेंसी की तरफ तेज कदमो से चलने लगे तब इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने बुलंद आवाज मे अपना परिचय देते हुए रुकने को कहा तभी अचानक एक अभियुक्त ने पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जबकि पी0डब्लू–21 इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की प्रतिपृच्छा में यह बयान है कि मुलजिमान को जब अपना परिचय बताया था तब उन्होनें फायर नहीं किया था,भागने का प्रयास किया था दुबारा जब चेतावनी देकर परिचय बताकर रुकने को कहा तब मुलजिमान ने फायर किया था। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा अपनी प्रतिपृच्छा मे यह नहीं बता पाये कि मुलजिमान ने कितने फायर किए। उनकी प्रतिपृच्छा में यह कथन है कि मुलजिमान ने कितने फायर किए थे इस बात की सही जानकारी नहीं है। जबकि पी0डब्लू–4 एसआई जितेन्द्र सिंह की प्रतिपृच्छा में मौके पर केवल 4–5 फायर होने की बात आयी है। साक्षी की प्रतिपृच्छा में यह कथन है कि जहांतक मुझे याद है कि मैने मौके पर 4–5 फायर होना सुना था और पी0डब्लू–5 एसआई बी0एम0 पाल ने प्रतिपृच्छा मे इस संदर्भ मे पहले 5–6 फायर की आवाज आने की बात कहीं है फिर अपने कथन को संशोधित करते हुए खोखो की संख्या के अनुसार करीब 10 फायर की आवाज आने का कथन किया है। मानचित्र घटना स्थल प्रदर्श क–7 के अवलोकन से यह विदित होता है कि इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की पुलिस पार्टी बस स्टाप वाले तिराहे पर सड़क के दक्षिणी किनारे पर 'ए' अक्षर से प्रदर्शित स्थान पर खड़ी थी। अभियुक्तगण दक्षिण दिशा से ही सीएमओ कार्यालय की तरफ से आये और तिराहे के उत्तर–पूर्वी किनारे पर 'एम' अक्षर से प्रदर्शित स्थान पर रिक्शे से उतरे तथा फिर उत्तर की तरफ शहीद स्मारक की तरफ जाने वाली सड़क पर चलने लगे। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा,पी0डब्लू–22 विनय गौतम व पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला के बयानो से यही परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्तगण दक्षिण दिशा से आये और उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे परन्तु पी0डब्लू–22 एसआई विनय गौतम की मुख्य परीक्षा में ही यह बयान है कि जब मुखबिर ने इशारा करके बताया और पुलिस पार्टी सावधानीपूर्वक उनकी ओर बढ़ी तो दोनो व्यक्ति पीछे मुड़कर तेज कदमो से चलने लगे। यदि पी0डब्लू–22 एसआई विनय गौतम के उपरोक्त बयानो को सही माना जाये तो अभियुक्तगण जिस दिशा मे पुलिस पार्टी थी उसी दिशा की ओर चले जो मानचित्र घटनास्थल व अन्य साक्षियो के बयानो से भिन्न स्थित है और परिस्थितियो में संभव भी नहीं है।

18. उपरोक्त घटना के सम्बंध मे अभियोजन ने जिन 05 गवाहो पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला,पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह,पी0डब्लू–5 बी0एम0 पाल,पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा व पी0डब्लू–22 विनय गौतम को पेश किया है। उनके बयानो के परिशीलन से यह विदित होता है कि साक्षियो ने महत्वपूर्ण बिन्दुओ के उत्तर नहीं दिये है और उन्होनें इन बिन्दुओ पर अनभिज्ञता प्रकट की है तथा उनके आपसी कथनो में भी विरोधाभास है। पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला की प्रतिपृच्छा में यह बयान है कि जिस स्थान पर हम लोग खड़े थे उस स्थान पर अंधेरा था आसपास चाय की गुमटिया थी कुछ गुमटी उस समय खुली थी तिराहे पर रोशनी थी। बस अड्डे के गेट के पास ऑटो,रिक्शा व टैम्पो खड़े थे। बस अड्डा गेट के सामने चाय व पान की दुकान खुली थी। जबकि पी0डब्लू–22 विनय गौतम की प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि जब हमारी टीम मौके पर पहुॅची तब वहां दुकाने बंद थी कोई चाय–पान की दुकान नहीं खुली थी। टैम्पो व ऑटो वहां नहीं थे। बस स्टाप के अन्दर रही होगी बाहर सड़क पर नहीं थी। मानचित्र घटना स्थल प्रदर्श क–7 मे अभियुक्तगण की गिरफतारी का स्थान बस स्टाप तिराहे के उत्तर शहीद स्मारक की तरफ जाने वाली सड़क पर रेजीडेंसी गेट के थोड़ा आगे सड़के के पूर्वी किनारे पर 'एफ' अक्षर से प्रदर्शित स्थान पर दिखाया गया है। पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला ने इस बिन्दु पर प्रतिपृच्छा मे यह कहा है कि अभियुक्तगण को रेजीडेंसी के गेट से 40–45 कदम उत्तर–पूरब की तरफ पकड़ा था जबकि पी0डब्लू–4 एसआई जितेन्द्र सिंह अभियुक्तगण की गिरफतारी का निश्चित स्थान नही बता पाये है और यह कथन किया है कि अभियुक्तगण को रेजीडेंसी तिराहे के आसपास पकड़ा गया था। उस तिराहे के पास मुलजिमान को पकड़ा था जिस तिराहे पर पुलिस बल की पहली टीम मौजूद थी। उपरोक्त बयानो से गिरफतारी का स्थान बस स्टाप वाले तिराहे के पास होना स्थापित होता है जोकि मानचित्र घटनास्थल के अनुरुप नहीं है। साक्षी यह भी नहीं बता पाया है कि जिस सड़क पर मुलजिमान को पकड़ा गया था वह सड़क किधर जाती है। पी0डब्लू–5 बी0एम0 पाल की प्रतिपृच्छा में इस बिन्दु पर यह कथन है कि यह सभी घटना रेजीडेंसी तिराहे पर हुई। रेजीडेंसी गेट पर नहीं हुई थी जबकि मानचित्र घटनास्थल मे गिरफतारी स्थल रेजीडेंसी तिराहे से उत्तर गेट से भी आगे दिखाया गया है। इसप्रकार साक्षियो ने गिरफतारी के जो स्थान बताये है वह मानचित्र घटनास्थल के अनुरुप नहीं था तथा उनमे काफी अन्तर है। पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह ने अपनी प्रतिपृच्छा मे यह बयान दिया है कि फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर भागकर गये थे 2–4 मिनट मे मौके पर पहुॅच गये थे और जब मौके पर पहुॅचा तो पहली टीम के लोग तिराहे पर ही मौजूद थे। साक्षी से जब यह प्रश्न पूछा गया कि तिराहे पर

रेजीडेंसी का कोई गेट है या नहीं तो साक्षी ने यह उत्तर दिया कि उसे ध्यान नहीं है। साक्षी ने आगे यह भी कथन किए है कि इस समय याद नहीं है कि जलालुद्दीन को किसने पकड़ा था और नौशाद को किसने पकड़ा था। फर्द के सम्बंध मे साक्षी ने यह बयान दिया है कि सड़क की रोशनी में फर्द तैयार की थी और किसी रोशनी का इस्तेमाल किया गया था उसे ध्यान नहीं है। बिजली का खम्बा फर्द लिखे जाने वाले स्थान से कितनी दूर है ध्यान नहीं है। यह भी ध्यान नहीं है कि फर्द मौके पर खड़े होकर लिखी गयी थी या बैठकर लिखी गयी थी। पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला की प्रतिपृच्छा में यह बयान है कि फर्द बैठकर लिखी गई थी। पुलिया पर बैठकर लिखी गई थी। मानचित्र घटनास्थल मे घटनास्थल के आसपास कोई पुलिया नहीं दर्शित की गई है तथा पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया हे कि बस अड्डे के पास कोई पुल नहीं है। पी0डब्लू–5 बी0एम0 पाल की प्रतिपृच्छा में यह कथन है कि फायरिंग की आवाज सुनकर वह पैदल–पैदल सिविल कोर्ट के सामने वाली सड़क से मौके पर गये थे जब हमारी टीम के लोग मौके पर पहुॅचे तो पहली टीम के सदस्य तिराहे के चारो तरफ फैले हुए थे। मुलजिमान जब हमे नजर आये तो तिराहे के बीच मे थे। फिर कहा कि कुछ किनारे पर थे अंधेरे की वजह से सही–सही नहीं बता सकता कि किस किनारे पर थे। मुलजिमान किनारे पर ही पकड़े गये थे। एक अन्य स्थान पर साक्षी ने प्रतिपृच्छा में यह बयान दिये है कि पहली टीम के लोग जब हम लोग पहुॅचे तो चारो तरफ छिपे हुए थे उस टीम के सदस्य छिपे हुए नजर आ रहे थे। उस टीम मे 2–3 लोग दाहिने तरफ की चाय की भट्ठी के पीछे थे और 2–3 लोग बांयी तरफ जीपो की आड़ मे थे। हमारी टीम ने मिलकर नौशाद को पकड़ा तथा जलालुद्दीन को दूसरे लोगो ने पकड़ा। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा की प्रतिपृच्छा मे इससे भिन्न यह कथन है कि बस अड्डे पर पहुॅच कर रेजीडेंसी के सामने मेरी टीम के सदस्य उतरकर रुक गये और ड्राइवर को आड़ मे छिपाकर गाड़ी खड़ी करने का निर्देश दिया। उसने किसी आड़ मे गाड़ी खड़ा किया होगा। उस स्थान की जानकारी मुझे नहीं है। जलालुद्दीन को पकड़ने मे मुझे किसने सहयोग किया था यह मुझे याद नहीं है। नौशाद को किसने पकड़ा था,यह भी याद नहीं है।

19. अभियुक्तगण के पास से बरामद माल व उसे सील मोहर किए जाने के सम्बंध में भी अभियोजन साक्षियो के बयान मे विसंगतियां व भिन्नताये है। फर्द में यह उल्लेख है कि बरामद ए0के0 47 व पिस्टल को अलग–अलग हार्डबोर्ड पर रखकर मय मैगजीन व कारतूस के सूत की रस्सी से बांधकर पोलीथीन लगायी गयी व चिटबंदी

की गयी। बरामद डेटोनेटर व ग्रेनेड को इसी प्रकार एक पोलीथीन व प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर उसे बरामद बैगो मे अलग–अलग रखकर चिटबंदी की गई। बरामद घड़ियो को अलग–अलग गत्ते मे रखकर पोलीथीन लगाकर चिटबंदी की गई। पाकेट की जामा तलाशी को अलग–अलग लिफाफे मे रखकर चिटबंदी की गई। बरामद हाई एक्सप्लोसिव को उन्ही बिना स्टैप के थैलेनुमा हरे रंग के कपड़े में रखकर सीलकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा की मुख्य परीक्षा में इस बिन्दु पर यह कथन है कि बरामद ए0के0 47,पिस्टल व घड़ियो को एक–एक हार्डबोर्ड मे रखकर मय मैगजीन व कारतूस के डोरी से बांधकर चिटबंदी की गई। एक्सप्लोसिव,हैण्ड ग्रेनेड,डेटोनेटर को उसी बैग मे रखकर अलग–अलग बरामदगी के अनुसार चिटबंदी की गई। पी0डब्लू–22 विनय गौतम की मुख्य परीक्षा में इस बिन्दु पर यह कथन है कि बरामद असलहो,हैण्ड ग्रेनेड,एक्सप्लोसि मौके पर ही सर्वमोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया था। बैग से बरामद कपड़े को उसी बैग में रखकर सील किया गया था। पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला की मुख्य परीक्षा मे इस बिन्दु पर यह कथन है कि जामा तलाशी अलग–अलग कपड़े मे रखकर चिटबंदी की गई। बरामद ए0के0 47,पिस्टल,मैगजीन व कारतूस को अलग–अलग हार्ड बोर्ड पर डोरे से सिलकर चिटबंदी की गई। बरामद डेटोनेटर व ग्रेनेड को डिब्बो मे रखकर बांधकर झोलो मे रखकर चिटबंदी की गई। बरामद घड़ियो को एक गत्ते मे रखकर चिटबंदी की गई। बरामद हाई एक्सप्लोसिव हरे रंग के कपड़े मे रखकर सिलकर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा पी0डब्लू–4 एसआई जितेन्द्र सिंह के बयानो मे यह कथन है कि जामा तलाशी को अलग–अलग रखकर चिटबंदी की गई। ए0के0 47 व पिस्टल,मैगजीन को अलग–अलग हार्ड बोर्ड मे रखकर सूत की रस्सी से बांधकर पोलीथीन लगाकर चिटबंदी की गई। बरामद हैण्ड ग्रेनेड व डेटोनेटर इसी तरह से पोलीथीन लगाकर चिटबंदी की गई। बरामद बैग की अलग–अलग चिटबंदी की गई। बरामद घड़ियो को भी पोलीथीन लगाकर चिटबंदी की गई। पी0डब्लू–5 बी0एम0 पाल की मुख्य परीक्षा मे इस संदर्भ में यह कथन है कि बरामद सामान की अलग–अलग चिटबंदी करते हुए ए. के. 47 राइफल,पिस्टल को अलग–अलग गत्ते मे रखकर धागे से बांधकर उस पर पोलीथीन लगाकर सील मोहर किया। शेष बरामद माल को अलग–अलग जिस व्यक्ति के थे उन्ही में बना रहने दिया। हैण्ड ग्रेनेड को अलग डेटोनेटर को अलग,क्वार्टज घड़ियो को अलग तथा एक्सप्लोसिव की अलग चिटबंदी करके जिस–जिस मुलजिम से बरामद थी उन्हीं के बैगो में उनके नाम से सील मोहर कर सर्वमोहर किया व नमूना मोहर तैयार किया। पी0डब्लू–6 एच.सी.पी. राम बहादुर

सोनकर की प्रतिपरीक्षा मे यह कथन है कि ''फर्द मे जो चीजे लिखी है उनको मैने देखा था। पैकिंग खुली थी। बरामद माल सर्वमोहर था। पैकिंग जिसमे बाधा था वह सील था। साक्ष्य के दौरान अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष जो माल प्रस्तुत किया है उसमे क्वार्टज घड़ी व 9 बोल्ट की बैटरी मौजूद नहीं है। साक्षीगण यह नहीं बता पाये कि हार्ड बोर्ड,पोलीथीन आदि सामान उस समय कहां से आया था। पी0डब्लू–2 अभय नारायण शुक्ला की प्रतिपृच्छा में यह बयान है कि एसटीएफ बल के सदस्य अपने–अपने हथियारो से लैस थे,के अलावा मेरी टीम वाली गाड़ी मे कोई सामान नहीं था। पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह की प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि गत्ता कहां से लाया गया था या कहां से मिला था इस बारे में मुझे याद नहीं है तथा दूसरे स्थान पर यह भी कथन किये है कि मेरी गाड़ी मे एवं हमारी टीम की गाड़ी मे दोनो टीमो मे सरकारी असलहो के अलावा और कोई सामान नहीं था। जबकि फर्द में हाई एक्सप्लोसिव का निश्चित वजन लिखते हुए यह उल्लेख किया गया हे कि साथ लिए तराजू बांट से वजन किया गया। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कहा हे कि हाई एक्सप्लोसिव पैकेट दो जिनका वजन मौके पर तराजू से कराया गया तथा पी0डब्लू–5 बृजमोहन पाल की प्रतिपृच्छा मे यह भी बयान है कि तराजू पहली टीम की गाड़ी में था दो तसलो वाला तराजू था। इस संदर्भ में फर्द के अभिकथन तथा साक्षियो के बयान अत्यंत हास्यास्पद है। पुलिस कर्मियो से यह अपेक्षित नहीं है कि आपरेशन के दौरान अपने साथ तराजू व बांट भी लेकर चले। हार्ड बोर्ड,पालीथीन,टेप आदि सामान तथा तराजू–बांट मौके पर होने का खण्डन पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह की प्रतिपरीक्षा के बयानो से भी हो रहा है तथा उपरोक्त तथ्य व विसंगतियां यह इंगित कर रही है कि वास्तव में मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संदर्भ मे किए गए सभी कथन फर्जी व बनावटी है।

20. अभियोजन के अनुसार मुखबिर की सूचना निरीक्षक अविनाश मिश्रा को दिनांक 22/06/07 को रात 11.30 बजे प्राप्त हुई। यहां यह भी विचारणीय है कि सूचना मुखबिर ने स्वंय एसटीएफ कार्यालय में आकर रात 11.30 बजे अविनाश मिश्रा को दी। फर्द मे यह उल्लेख है कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की दो टीमे का गठन किया गया तथा रात 12.15 बजे पुलिस पार्टी एसटीएफ कार्यालय से रवाना होकर नया बस अड्डा कैसरबाग पहुॅची तथा अभियुक्तगण को संक्षिप्त मुठभेड के बाद प्रातः 2.40 बजे गिरफतार किया गया। एसआई विनय गौतम पी0डब्लू–22 की प्रतिपृच्छा मे इस बिन्दु पर यह कथन है कि सूचना दिनांक 23/06/07 को दिन मे 11.30 बजे मिली थी। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि सूचना मिलने के तुरन्त बाद

हम लोग चल दिये थे। जबकि फर्द के अनुसार सूचना मिलने के 45 मिनट बाद रात 12.15 बजे टीम कार्यालय से रवाना हुई। इस बिन्दु पर पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह की प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि मैं मौके पर समय 11.40 बजे रात से 12.15 बजे रात के बीच पहुॅचा था,यह बयान भी फर्द के अभिकथनो के अनुकूल नहीं है क्योंकि फर्द में यह उल्लेख है कि पुलिस पार्टी रात 12.15 बजे एसटीएफ कार्यालय से चली थी तथा पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला ने अपने प्रतिपृच्छा मे उपरोक्त से भिन्न यह कथन किया है कि 23/06/07 को कैसरबाग बस अड्डे यानि 22/06/07 की रात 12.00 बजे बीतने के बाद 12.45 बजे के बाद इसी टीम के साथ कैसरबाग बस अडडे पहुॅचा था। पी0डब्लू–4 एसआई जितेन्द्र सिंह व पी0डब्लू–2 निरीक्षक अभय नारायन शुक्ला ने कैसरबाग बस अडडे पर पहुॅचने का जो समय बताया है उसमे लगभग 01 घण्टे का अन्तर है जो मामूली नहीं है और नजरअंदाज किए जाने योग्य नहीं है। पी0डब्लू–5 बृजमोहन पाल की प्रतिपृच्छा में घटना के समय के संदर्भ मे यह कथन है कि हम लोग मौके पर करीब 12.30 बजे रात पहुॅचे होगे तथा एक अन्य स्थान पर साक्षी ने यह कहा है कि वहां पहुॅचने से करीब एक से डेढ़ घंटे बाद हमे गोलियो की आवाजे सुनाई दी। इस साक्षी के बयानो से पुलिस मुठभेड़ व गिरफतारी की घटना का समय रात मे 1.30 बजे से 2.00 बजे के आसपास आता है। अतः घटना के समय के सम्बंध में भी अभियोजन साक्ष्य मे विसंगतियां व भिन्नतायें है और जो गंभीर प्रकृति की है।

21. अभियोजन जिस प्रकार पुलिस पार्टी के द्वारा आपरेशन करना बता रहा है,वह अस्वाभाविक एवं अप्रकृतिक है। यह अभियोजन केस है कि एसटीएफ कार्यालय पर मुखबिर द्वारा यह सूचना दी गई कि कुख्यात आतंकी बाबू व नौशाद अमीनाबाद मे किसी होटल या मुसाफिरखाने में रुके हुए है जिनके पास काफी भारी बैग है जिसमे नाजायज असलहे या विस्फोटक हो सकता है और वे दोनो हरकत–उल–जेहाद अल इस्लामी के फिदाइन आतंकवादी है और इसी सूचना पर निरीक्षक अविनाश मिश्रा ने टीम गठित की और दो गाड़ियो से आरपरेशन के लिए रवाना हुए। इसप्रकार पुलिस पार्टी को यह जानकारी थी कि वे कुख्यात फिदाइन आतंकवादियो के आपरेशन पर जा रहे है और जिनके पास भारी बैग है और जिनमे नाजायज असलहे व विस्फोटक है। फर्द मे आगे यह उल्लेख किया गया है कि जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया लेकिन नावक्त होने के कारण नहीं मिले। पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे भी फर्द के अभिकथनो के अनुरुप यह कहा हे कि जनता के गवाह लेने का प्रयास किया नावक्त होने के कारण गवाह नहीं मिले। अन्य साक्षी पी0डब्लू–22 एस0आई0 विनय गौतम व पी0डब्लू–4 एसआई जितेन्द्र सिंह ने

भी अपनी मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा के बयानो का समर्थन करते हुए यह कहा है कि गवाह तलाशने की कोशिश की गई लेकिन नावक्त होने के कारण कोई नहीं मिला। फर्द मे उपरोक्त अभिकथनो तथा साक्षियो के इस बिन्दु पर बयान हास्यास्पद है क्योंकि ऐसे किसी आपरेशन के लिए जनता के व्यक्तियो को स्वतंत्र साक्षियो के रुप में साथ लेकर जाना स्वाभाविक एवं प्राकृतिक आचरण नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी अभिकथन यह परिलक्षित कर रहा है कि पुलिस जिस प्रकार साधारण अपराधियो के मामले के आपरेशन की फर्द तैयार करती है उसी का अनुसरण करते हुए जनता के स्वतंत्र गवाह तलाश करने की बात फर्द में लिखी गयी है जिसका कोई अवसर इस मामले में नहीं था। इस बिन्दु पर पी0डब्लू–21 का बयान अर्न्तविरोधी भी है क्योंकि साक्षी ने मुख्य परीक्षा मे नावक्त होने के कारण गवाह उपलब्ध न होने की बात कहीं है जबकि प्रतिपरीक्षा में पेज–15 पर यह कहा है कि मुलजिमान की गिरफतारी से पहले हम लोगो द्वारा जामा तलाशी से पूर्व जनता के गवाहान को लेने का प्रयास किया था किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ था। जहां हम लोग अपनी गाड़ी से उतरे थे वहां आसपास जनता के लोगो से कहा था जिनसे मैने गवाही के लिए कहा वह रिक्शे वाले व राहगीर थे। इसी प्रकार फर्द मे यह भी उल्लेख है कि कैसरबाग बस स्टैण्ड पहॅुचकर निरीक्षक अविनाश मिश्रा व अभय नारायन शुक्ला ने एक दूसरे की जामा तलाशी ली तत्पश्चात दोनो ने शेष पुलिस बल की जामा तलाशी लेकर यह सुनिश्चित कर लिया कि सरकारी असलहे के अलावा अन्य कोई गोला बारुद जैसी वस्तु किसी के पास नहीं है। साक्षियो ने अपने बयानो मे फर्द के अभिकथनो के अनुरुप कैसरबाग बस स्टैण्ड पर पुलिस पार्टी द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी लेने का कथन किया गया है तथा पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला की प्रति परीक्षा मे यह कथन भी है कि यह जामा तलाशी बस स्टैण्ड तिराहे पर ली गयी थी। पुलिस पार्टी मे लगभग बीस सदस्य मौजूद थे। बस स्टैण्ड तिराहे पर सड़क पर पुलिस कर्मियो के द्वारा एक–दूसरे की जामा तलाशी जनता की मौजूदगी मे लिया जाना भी स्वाभाविक आचरण नहीं है। यह भी अभियोजन केस है कि संक्षिप्त पुलिस मुठभेड़ के बाद अभियुक्त नौशाद को पिस्टल की स्लाइड खींचते हुए तथा दूसरे को बैग से ए0के0–47 निकालते हुए पकड़ लिया गया और नाम पता पूछकर उनकी जामा तलाशी ली गई तो पिस्टल व ए0के0–47 के साथ–साथ एक–एक बैग भी बरामद हुए और बैग मे विस्फोटक पदाथ,हैण्ड ग्रेनेड,डेटोनेटर,क्वार्टज घड़ी तथा 09 वोल्ट की बैटरी आदि सामान भी बरामद हुआ। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि पुलिस पार्टी को पहले से यह जानकारी थी कि बैग मे नाजायज हथियार व विस्फोटक पदार्थ हो सकता है परन्तु

बरामद बैग को हैण्डिल करने मे पुलिस पार्टी ने किसी प्रकार की कोई सावधानी बरती हो ऐसा कोई कथन न तो फर्द मे है और न साक्षियो के बयानो मे है। जिसप्रकार पुलिस पार्टी ने बैग को कब्जे मे लेकर उसमे से हैण्ड ग्रेनेड,हाई एक्सप्लोसिव (आर.डी.एक्स),डेटोनेटर,अलार्म क्लाक व बैटरी अलग–अलग रखे हुए बरामद किया हे और बैग को हैण्डिल करने मे कोई सावधानी नहीं बरती,इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि जैसी पुलिस पार्टी को यह जानकारी पहले से थी कि विस्फोटक के रुप मे जो सामान रखा गया है उसके कम्पोनेन्ट अलग–अलग है तथा उससे तुरन्त विस्फोट होना संभव नहीं है अन्यथा बैग को हैण्डिल करने मे पुलिस पार्टी पूरी सावधानी बरतती। फर्द में यह भी उल्लेख है कि विस्फोटक पदार्थ की तौल साथ लिए तराजू बांट से मौके पर की गई। साक्षियो ने अपने बयानो मे भी फर्द के उपरोक्त अभिकथनो के अनुरुप विस्फोटक पदार्थ की तौल मौके पर तराजू–बांट से किए जाने का कथन किया है तथा पी0डब्लू–5 एसआई बी0एम0 पाल की प्रतिपृच्छा मे यह बयान भी है कि तराजू पहली पार्टी की जीप मे था। जबकि पी0डब्लू–4 जितेन्द्र सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे टीम की गाड़ियो मे सरकारी असलहे के अलावा कोई अन्य सामान न होना स्वीकार किया है। चूकि घटना मध्य रात्रि के बाद की हैं, जब बाजार बंद रहते है। अतः विस्फोटक पदार्थ का वजन किस प्रकार किया गया,इसी के स्पष्टीकरण के रुप मे तराजू बांट होना उल्लिखित किया गया है जो स्वाभाविक नहीं है। फर्द मे हाई एक्सप्लोसिव के निश्चित वजन का उल्लेख पुलिस पार्टी के द्वारा विस्फोटक पदार्थ के बैगो को हैण्डिल करने मे कोई सावधानी न बरतना एवं समस्त कार्यवाही व मुठभेड़ की परिस्थितियां यह संकेत दे रही हे कि समस्त घटनाक्रम फर्जी,बनावटी तथा बरामदगी प्लांट की गयी है।

22. फर्द के अनुसार मुखबिर ने यह सूचना दी थी कि कुख्यात आतंकी बाबू व नौशाद इस समय अमीनाबाद मे किसी होटल या मुसाफिरखाने मे रुके हुए है और उनके पास काफी भारी बैग है। यह दोनो हरकत–उल–जेहाद अल इस्लामी के फिदाईन आतंकवादी है। देर रात या फज्र की नमाज के पहले कैसरबाग बस स्टैण्ड से कहीं बाहर निकलने वाले है। उन लोगो ने पीसीओ से भी कहीं अपने मिलने वालो से बातचीत की है। फर्द के उपरोक्त अभिकथनो से यह परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्तगण के सम्बंध मे मुखबिर ने जो सूचना दी थी काफी विस्तृत थी और उसमे बहुत सूक्ष्म विवरण था। मुखबिर को यह जानकारी थी कि अभियुक्तगण देर रात मे कैसरबाग बस स्टैण्ड से कहीं बाहर निकलने वाले है तथा अमीनाबाद के किसी होटल या मुसाफिरखाने में रुके हुए है और उन्होनें पीसीओ से अपने मिलने वालो से

बात भी की है। यहां यह विशेष रुप से उल्लेखनीय है कि लखनऊ से बाहर जाने के लिए कैसरबाग बस स्टैण्ड के अतिरिक्त चारबाग बस स्टैण्ड व घटना के समय आलमबाग बस स्टैण्ड भी था। इसके अतिरिक्त कई रेलवे स्टेशन भी है। परन्तु मुखबिर को यह सटीक जानकारी थी कि अभियुक्तगण कैसरबाग बस अड्डे से ही बाहर जाने वाले है। मुखबिर को यह भी जानकारी थी कि अभियुक्तगण ने पीसीओ से अपने मिलने वाले से बात की है। ऐसी स्थित मे मुखबिर को अभियुक्तगण के अमीनाबाद मे ठहरने के स्थान की जानकारी न होना स्वाभाविक स्थिति नहीं है। साक्ष्य के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस पार्टी ने मुखबिर द्वारा बताये गये क्षेत्र अमीनाबाद के किसी होटल या मुसाफिरखाने को सर्च करने का कोई प्रयास नहीं किया और वह सीधे कैसरबाग बस स्टैण्ड पर पहुॅच कर अभियुक्तगण के आने की प्रतीक्षा करने लगे। फर्द मे पूछतांछ मे अभियुक्तगण द्वारा बतायी गयी पूरी गतिविधियो का विस्तृत विवरण कई पृष्ठो में दर्ज है परन्तु अभियुक्तगण कैसरबाग बस स्टैण्ड किस स्थान को जाने के लिए आये थे तथा किस उद्देश्य से जा रहे थे इसका कोई उल्लेख नहीं है जबकि यह महत्वपूर्ण तथ्य था। उपरोक्त सभी तथ्य यह इंगित कर रहे है कि मुखबिर की सूचना के सम्बंध में किए गए सभी कथन काल्पनिक है और घटना का समय व स्थान अपने अनुसार नियत करने के उद्देश्य से मुखबिर की सूचना को आधार बनाकर पूरे घटनाक्रम को रचा गया है। अभियुक्तगण की जामा तलाशी से जो पीसीओ की पर्ची वस्तु प्रदर्श–73 व वस्तु प्रदर्श–83 बरामद होना बताया जा रहा है,उनके अवलोकन से विदित होता है कि पीसीओ की पर्ची वस्तु प्रदर्श–73 दिनांक 23/06/07 के प्रातः 2.07 बजे की तथा दूसरी पर्ची वस्तु प्रदर्श–83 दिनांक 23/07/07 प्रातः 2.08 बजे की है। जबकि मुखबिर की सूचना रात 11.30 बजे निरीक्षक अविनाश मिश्रा को मिल चुकी थी। अभियुक्तगण की गिरफतारी दिनांक 23/06/2007 को प्रातः 2.40 बजे की बतायी गयी है और जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया जा चुका है,समय के सम्बंध मे साक्षियो के बयानो मे लगभग एक से डेढ़ घंटे का अन्तर है। और पी0डब्लू–5 बी0एम0पाल के बयानो से घटना का समय डेढ़ से दो बजे के बीच आता है जबकि पीसीओ की पर्चियां दो बजे के बाद की है। विवेचना मे इन पीसीओ की पर्चियो की सत्यता को जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। विवेचक ने इन पीसीओ की पर्चियो के बारे मे यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अभियुक्तगण ने किन व्यक्तियो से बात की थी और किस पीसीओ से बात की थी। पीसीओ मालिक का न तो नाम आया है और न ही विवेचक ने उसका बयान अंकित किया है जबकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक था कि

पुलिस पार्टी व विवेचक यह जानने का प्रयास करते कि अभियुक्तगण ने पीसीओ से किन व्यक्तियो से बातचीत की और यह बातचीत किस आशय से की गई और उनका क्या उद्देश्य था। यह भी अभियोजन केस है कि इस घटना के पूर्व दिनांक 21/06/097 को दो फिदायीन आतंकवादी याकूब व नासिर लखनऊ से गिरफतार हुए थे जिनसे मजीद पूछतांछ से दो आतंकवादियो के नाम बाबू व नौशाद की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में फर्द मे यह उल्लेख है कि मजीद पूछतांछ से दो आतंकवादियो के नाम बाबू व नौशाद बताया तथा उनके लखनऊ व आसपास के ठिकानो व उनके विषय मे विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। इस बिन्दु पर पी0डब्लू–21 अविनाश मिश्रा की मुख्य परीक्षा मे यह कथन है कि दिनांक 21/06/07 को याकूब व नासिर की गिरफ्तारी के बाद मजीद पूछतांछ मे यह जानकारी मिली कि उनके दो साथी बाबू व नौशाद लखनऊ मे मौजूद है और उनके रुकने के स्थान व सम्पर्क सूत्र एवं उनकी हुलिया की जानकारी दी। पी0डब्लू–22 निरीक्षक विनय गौतम व पी0डब्लू–3 अभय नारायण शुक्ला की मुख्य परीक्षा में यह कथन है कि दिनांक 21/06/07 को गिरफतार याकूब से पूछतांछ मे यह जानकारी प्रकाश मे आयी कि इसी संगठन के अन्य आतंकवादी बाबू व नौशाद भी लखनऊ मे कहीं टिके हुए है जिनके पास विस्फोटक व आग्नेयास्त्र मौजूद है। फर्द के उपरोक्त अभिकथनो व पी0डब्लू–1 इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के बयानो से यह विदित होता है कि दिनांक 21/06/07 को ही याकूब की गिरफतारी के बाद पुलिस पार्टी को अभियुक्तगण बाबू व नौशाद के लखनऊ मे मौजूद होने की जानकारी मिल गयी थी और अभियुक्त याकूब से उनके रुकने के स्थान,उनके सम्पर्क सूत्र एवं हुलिया की जानकारी भी प्राप्त हो गयी थी। इतनी सूचना प्राप्त होने के बाद भी दिनांक 21/06/07 व 22/06/07 को पुलिस पार्टी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पी0डब्लू–22 विनय गौतम की प्रतिपृच्छा मे उनके मुख्य परीक्षा के बयानो के विरुद्ध यह कथन मौजूद है कि दिनांक 23/06/07 के पूर्व जलालुद्दीन व नौशाद के सम्बंध मे मुझे कोई सूचना नहीं मिली थी,ऊपर के अधिकारियो को यदि कोई सूचना मिली हो तो मैं नहीं बता सकता। यहां यह विशेष रुप से उल्लेखनीय है कि निरीक्षक विनय गौतम ही वह व्यक्ति है जिनके नेतृत्व मे दिनांक 21/06/07 को एसटीएफ पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त याकूब को गिरफतार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा मे विस्फोटक बरामद किया जाना बताया गया है तथा उन्हीं के द्वारा मौके पर ही अभियुक्त याकूब से पूछतांछ की गई थी जिसमें याकूब ने नौशाद व जलालुद्दीन उर्फ बाबू के नाम बताये थे। यह भी अभियोजन केस है कि अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ बाबू की जामा तलाशी से एक ट्रेन टिकट लखनऊ से वाराणसी दिनांक 20/06/07

को पी.एन.आर. नं0 2502474181 दो व्यक्तियो तथा अभियुक्त नौशाद की जामा तलाशी से ट्रेन की दो टिकट दिनांक 22/06/07 बनारस से लखनऊ का बरामद हुआ था जो क्रमशः वस्तु प्रदर्श–72 व वस्तु प्रदर्श–81 व वस्तु प्रदर्श–82 के रुप मे अभियोजन ने पेश किया है। वस्तु प्रदर्श–72 आरक्षण टिकट है जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि यह टिकट दिनांक 20/06/07 का काशी–विश्वनाथ एक्सप्रेस का है जिसका लखनऊ से छूटने का समय रात 11.15 बजे का है। वस्तु प्रदर्श–81 व वस्तु प्रदर्श–82 लखनऊ से बनारस के साधारण टिकट है। वस्तु प्रदर्श–81 दिनांक 22/06/07 दिन मे 12.15 बजे तथा वस्तु प्रदर्श–82 दिनांक 22/06/097 दिन मे 1.14 बजे बुक किए गए है। अतः इन रेल टिकटो पर विश्वास किया जाये तो यह स्थापित हो रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 20/06/07 की रात मे काशी–विश्वनाथ एक्सप्रेस से लखनऊ से बनारस गये थे और दिनांक 22/06/07 को दिन मे 12.30 से 1.30 बजे के बाद बनारस से लखनऊ के लिए वापस चले और वे रात मे किसी समय लखनऊ पहुॅचे होगें। जबकि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त याकूब की गिरफतारी दिनांक 21/06/07 दिन मे की गई थी और उसके उपरांत जलालुद्दीन व नौशाद के लखनऊ मे ही ठहरे होने की सूचना थी। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि नौशाद के कब्जे से दो साधारण टिकट बरामद किए गए है वस्तु प्रदर्श–81 दिन मे 12.15 बजे बुक हुआ है और यह एक व्यक्ति के लिए है। इसी प्रकार वस्तु प्रदर्श–82 दिनांक 22/06/07 को 13.14 बजे बुक हुआ है और यह भी एक व्यक्ति के लिए है। दोनो टिकट के बुक होने मे लगभग 50 मिनट का अन्तर है। टिकट एक–एक व्यक्ति का होने के कारण यह टिकट अलग–अलग व्यक्तियो के द्वारा बुक कराये गये होगें। परन्तु यह दोनो टिकट एक ही अभियुक्त नौशाद के कब्जे से बरामद होना बताये जा रहे है,यह स्थिति भी स्वाभाविक नहीं है। इस संदर्भ मे भी विवेचना मे कोई तथ्य नहीं है कि आरक्षित टिकट किन व्यक्तियो के नाम से था उनका क्या पता अंकित था। एस.टी.एफ. की पूछतांछ व विवेचना मे यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अभियुक्तगण बनारस किस उद्देश्य से गये थे। पी0डब्लू–1 आर0एन0 सिंह की प्रतिपरीक्षा में मात्र यह कथन है कि अजीजुर्रहमान ने अपने बयान मे यह बतलाया था कि नेट व टेलीफोन के माध्यम से जलालुद्दीन व नौशाद को बनारस बुलाया था। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध है कि अजीजुर्रहमान दिनांक 22/06/07 के पूर्व से ही सीआईडी,कलकत्ता की अभिरक्षा मे था। अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ बाबू की जामा तलाशी से बैग खरीदने का एक कैश मेमो भी बरामद होना बताया है जो वस्तु प्रदर्श–76 के रुप मे न्यायालय मे पेश किया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि सुरजीत सिंह स्टोर,सीतापुर

रोड,डालीगंज,लखनऊ से दिनांक 20/06/07 को एयरबैग बड़ा कीमत 150/–रुपये मे खरीदा गया। इस रसीद के बारे मे विवेचना मे कोई तथ्य नहीं आया न ही विवेचक ने दुकान मालिक का कोई बयान अंकित किया है और न ही इस आशय का कोई साक्ष्य एकत्रित किया कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति है जिसके द्वारा उक्त बैग खरीदा गया। अतः इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई लिंक साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत कर पाने मे विफल रहा है। फर्द में यह भी उल्लेख है कि अभियुक्तगण को गिरफतार कर उनके नाम पते पूछे गये और उनके कब्जे से असलहे व विस्फोटक पदार्थ बरामद करने के बाद घटनास्थल पर ही एसटीएफ की पार्टी द्वारा विस्तृत पूछतांछ की गई और अभियुक्तगण ने अपनी गतिविधियो आदि के बारे मे विस्तृत विवरण मौके पर ही बताया जिसका उल्लेख फर्द के पृष्ठ–4 के आधे पेज,इसके पृष्ठभाग व पृष्ठ–5 के आधे पेज मे दर्ज हुआ है। फिदायीन आतंकवादियो से घटनास्थल पर ही इतनी विस्तृत पूछतांछ कर इसका उल्लेख फर्द में करना आप्रकृतिक और अस्वाभाविक है। इस संदर्भ में फर्द मे जो अभिकथन किए गए है उनके विश्लेषण से यह विदित होता है कि अभियुक्तगण ने अपनी सभी गतिविधियो ट्रेनिंग आदि के बारे मे पुलिस पार्टी को जानकारी दी परन्तु अभियुक्तगण लखनऊ मे कब आये थे,कहां ठहरे हुए थे और कहां जाने के लिए कैसरबाग बस स्टैण्ड पर आये थे जोकि महत्वपूर्ण था,का कोई उल्लेख नहीं है। पुलिस पार्टी ने इस संदर्भ मे कोई जानकारी हासिल करना आवश्यक नहीं समझा और न ही विवेचक ने अपनी विवेचना में इस बिन्दु को सम्मलित किया। फर्द में अभियुक्तगण जलालुद्दीन व नौशाद की गिरफतारी दर्शायी गयी है परन्तु फर्द के पेज–4 के पृष्ठ भाग पर नासिर के नाम का उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा मौके पर एसटीएफ की पुलिस पार्टी को गिरफतारी के बाद अपनी गतिविधियो के बारे मे जानकारी दी गयी जबकि नासिर की गिरफतारी दिनांक 21/06/07 को ही हो चुकी थी और दिनांक 23/06/07 को उसके मौके पर मौजूद होने का कोई अवसर नहीं था। इसे लिपिकीय त्रुटि मानकर मामले की परिस्थितियो मे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन केस के अनुसार फर्द मौके पर अविनाश मिश्रा के बोलने पर विनय गौतम के द्वारा लिखी गयी है। विनय गौतम ही वह व्यक्ति है जिनके द्वारा 21/06/07 को याकूब को गिरफतार करना बताया गया और याकूब ने अपनी गिरफतारी के समय अपने अन्य साथी नासिर का नाम बताते हुए यह सूचना दी थी कि नासिर खरपत लॉज मे रुका हुआ है जहां एसटीएफ की दूसरी पुलिस पार्टी ने जिसका नेतृत्व बी0एम0 पाल ने किया था,दिनांक 21/06/07 को गिरफतार किया। अभियुक्त नासिर व याकूब का विचारण हुआ और दोनो ही मामलो मे अभियोजन केस को संदिग्ध्रा मानते हुए उक्त अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया

जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अभियुक्तगण ने अपने बचाव मे दाखिल की है जो प्रदर्श ख–3 व प्रदर्श ख–6 है। अभियुक्त नासिर ने अपने बचाव मे यह कहा था कि उसे अन्य स्थान से एसटीएफ की टीम ने उठाया था और बाद मे फर्जी बरामदगी दिखाते हुए लखनऊ से गिरफतारी दिखायी। अभियुक्त ने बचाव मे दो साक्षी भी प्रस्तुत किए थे जिनके द्वारा यह साबित किया गया कि अभियुक्त नासिर को मुली मे रेती टेहरी गढ़वाल के आश्रम से दिनांक 19/06/07 को प्रातः 4.30 बजे गिरफतार किया गया तथा अभियुक्त याकूब ने भी अपने बचाव मे यह कहा कि उसे नगीना बस स्टैण्ड के पास से दिनांक 10/06/07 को एसटीएफ ने गिरफतार किया था और फर्जी बरामदगी व लखनऊ से गिरफतारी दिखाते हुए उसे झूठा फंसाया गया है। इस मामले में भी अभियुक्तगण जलालुद्दीन व नौशाद ने अपने बचाव मे यह कहा है कि उन्हें अन्यंत्र स्थान से व अन्य समय पर एसटीएफ पुलिस पार्टी ने उठाया था और उनकी झूठी गिरफतारी व फर्जी बरामदगी दिखाकर मामले मे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त नौशाद की ओर से अपने बचाव मे दो साक्षी डी0डब्लू–1 अब्दुल वाजिद व डी0डब्लू–2 अब्दुल हलीम को पेश किया गया है जिन्होनें इस आशय के कथन किए है कि दिनांक 19/.6/07 को जब वे नौशाद के साथ हिन्दुस्तान फैक्टरी राजस्थान मे काम कर रहे थे तब समय 6.30 बजे तीन लोग आये और नौशाद को पूछा और उसे बाहर ले गये तथा गेट के बाहर खड़ी गाड़ी मे डालकर वहां से लेकर चले गये। यद्यपि बचाव पक्ष के साक्षियो के बयानो से इस तथ्य को सिद्ध नहीं माना जा सकता है परन्तु मामले की परिस्थितियो मे इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तगण को अन्य स्थान से व अन्य समय पर गिरफतार किया गया तथा पुलिस मुठभेड़ व गिरफतारी की कहानी बनाकर तथा फर्जी बरामदगी दिखाते हुए उन्हें फंसाया गया हो।

23. फर्द मे वादी अविनाश मिश्रा निरीक्षक ने जिस अदम्य शौर्य,साहस,कर्तवय परायणता आदि का उल्लेख करते हुए जिस प्रकार फिदाइन आतंकवादियो को घातक हथियारो,हैण्ड ग्रेनेड व विस्फोटक के साथ बिना किसी जानमाल की क्षति तथा बिना किसी को चोट आये हुए गिरफतार किए जाने की कहानी लिखी है वह स्वंय मे ही अस्वाभाविक है और कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा।

24. दूसरी बरामदगी दिनांक 11/07/2007 को 14–30 बजे की थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के अन्तर्गत रायबरेली रोड पर पी0जी0आई से 03 किमी0 आगे की बतायी जा रही है और यह बरामदगी अभियुक्त अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान व शेख मुख्तार

हुसैन की पुलिस अभिरक्षा प्राप्त कर उनकी निशांदेही पर की गई है। यह अभियोजन केस है कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने पूछतांछ मे यह स्वीकार किया था कि दिनांक 23/06/07 को जलालुद्दीन व नौशाद के पकड़े जाने की सूचना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर लगे टी0वी0 मे सुबह के समय समाचार से जानकारी के बाद वे लोग सड़क पर आये और जीप मे बैठे जिसे ड्राइवर ने रायबरेली जाना बताया था और पीजीआई से आगे जीप रुकने पर वे वहां पर उतरे तथा वही पर विस्फोटक पदार्थ आदि को छिपा दिया। अभियुक्तगण ने बचाव मे अपर मुख्य न्यायिक मजि0,अलीपुर जिला चौबीस परगना,कोलकत्ता के आदेश दिनांक 22/06/07 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ख–4 दाखिल की है जिससे यह पूर्ण रुप से सिद्ध हो रहा है कि अभियुक्त अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार को दिनांक 22/06/07 को सी0आई0डी0 कलकत्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजि0 के न्यायालय मे अभिरक्षा मे प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और जिस पर न्यायालय द्वारा उसे दिनांक 26/06/2007 तक पुलिस अभिरक्षा में देने का उक्त आदेश पारित किया था। अतः साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दिनांक 22/06/07 के पूर्व से ही अभियुक्त अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार सी.आई.डी. कलकत्ता की अभिरक्षा मे था। अतः उसका दिनांक 23/06/07 को लखनऊ मे मौजूद होना और अभियुक्त जलालुद्दीन व नौशाद की गिरफतारी की सूचना चारबाग मे प्राप्त होने पर रायबरेली रोड पर जाकर विस्फोटक पदार्थ छिपाने का कोई अवसर नहीं रह जाता है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधि0फौ0 ने इस संदर्भ मे यह तर्क दिये कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन केस पर नहीं पड़ता है क्योंकि यह बयान स्वंय अभियुक्त ने दिया है। अतः इसकी सत्यता या असत्यता अभियुक्त ही जान सकता है। विद्वान अधिवक्ता के यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अभियुक्त के उपरोक्त बयान के आधार पर ही विस्फोटक पदार्थ बरामद किए जाने का केस है और यह पूर्ण रुप से स्थापित हो रहा है कि दिनांक 23/06/07 को अभियुक्त अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार न तो लखनऊ मे मौजूद हो सकता था और न ही उसके द्वारा विस्फोटक पदार्थ लखनऊ मे छिपाया जा सकता था क्योंकि वह इससे पूर्व दिनांक 22/06/07 से सी.आई.डी. कलकत्ता की अभिरक्षा मे था। अतः दिनांक 23/06/07 को उसके द्वारा लखनऊ के रायबरेली रोड पर विस्फोटक पदार्थ छिपा कर रखने का कोई अवसर नहीं रह जाता है। चूँकि बरामदगी उसी के बयान के आधार पर की गयी है। अतः यदि यह बयान ही असत्य है तो इसके आधार पर कोई बरामदगी संभव नहीं है। इस बिन्दु पर पी0डब्लू–1 रामनयन सिंह के बयानो का खण्डन पी0डब्लू–18 आर0बी0 सरोज के बयानो से भी हो रहा है। पी0डब्लू–18 आर.बी. सरोज विवेचनाधिकारी

जिनके द्वारा 23 जून,2007 का वजीरगंज थाने मे दर्ज मामले की आंशिक विवेचना की गयी है,ने अपने बयानो मे यह कहा है कि ''जलालुद्दीन व नौशाद के अलावा पांच अन्य व्यक्ति कलकत्ता से लखनऊ आये जिनके नाम अजीजुर्रहमान,अकबर व मुख्तार थे जो कलकत्ता चले गये थे। जलालुद्दीन ने बताया था कि 23 जून,2007 को ही तीनो कलकत्ता चले गये थे।'' उपरोक्त सभी तथ्य उक्त बरामदगी को पूर्ण रुप से संदिग्ध बना देते है। इस बरामदगी की एक अन्य अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक स्थिति यह है कि अभियुक्तगण मो0 अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान व शेख मुख्तार हुसैन सभी दूसरे प्रांत पश्चिम बंगाल के रहने वाले है, वे लखनऊ के स्थानीय निवासी नहीं है। एक दूसरे प्रांत का रहने वाला लखनऊ के बाहर जाने वाली सड़क पर बिना किसी कठिनाई के एक निश्चित स्थान को सुगमता पूर्वक ढूढ़ लेगा,यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। बरामदगी स्थल एक खुला हुआ स्थान है जहां पर जनता के व्यक्ति बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक पहुॅच सकते है। इस बरामदगी के सम्बंध मे जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है,उसमे भी गंभीर विसंगतियां एवं भिन्नताये है। वादी राम नयन सिंह पी0डब्लू–1 इस सम्बंध मे महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर पूछे गये प्रश्नो का उत्तर नहीं दे पाये है। साक्षी के प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि इस समय मुझे याद नहीं है कि मुलजिमान को एक ही जीप मे बैठाया गया था या अलग–अलग जीपो मे बैठाला गया था। जिन गवाहान ने गवाही देने से मना किया था उन पर हम लोगो ने फिर नजर नहीं डाली कि वे रुके या चले गये। जिस जीप से अभियुक्तो को ले जाया गया था उस जीप का नम्बर मुझे याद नहीं है जबकि पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला की प्रतिपृच्छा मे यह बयान है कि तीनो मुलजिमान एक ही बज्र वाहन पर बैठे थे परन्तु साक्षी यह नहीं बता पाया कि मुलजिमान के साथ कौन सा आफिसर बैठा था। साक्षी यह भी नहीं बता पाया है कि खुदाई किस चीज से करायी गयी थी और यह कथन किया है कि इस वक्त ध्यान नहीं है कि किस चीज से खुदवाया था। पी0डब्लू–1 राम नयन सिंह व पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला की मुख्य परीक्षा मे यह बयान है कि जमीन मुलजिमान से ही खुदवाई गयी थी और मुलजिमान ने ही खोंदकर सामान निकालकर दिया था जबकि पी0डब्लू–3 सत्येन्द्र सिंह की मुख्य परीक्षा मे ही यह बयान है कि धीरे–धीरे डिप्टी एस0पी0 आर0 एन0 सिंह ने मिट्टी हटाकर खोदा तथा एक पालीथीन बरामद हुई। पी0डब्लू–9 कुलदीप तिवारी भी अपनी प्रति–परीक्षा मे महत्वपूर्ण प्रश्नो का उत्तर नहीं दे पाये है। साक्षी के प्रतिपरीक्षा मे यह बयान है कि टीम को मैने पुलिस लाइन लखनऊ मे ज्वाइन किया था। थाना वजीरगंज से पुलिस लाइन के लिए मेरी रवानगी कितने बजे हुई थी समय मुझे याद नहीं है। पुलिस लाइन कितने बजे पहुॅचा एक्जैक्ट समय याद नहीं है। पुलिस

लाइन से मौके के लिए कौन–कौन गाड़ियां और कितनी गाड़ियां चली थी यह ध्यान नहीं है। मुलजिम अलग गाड़ी मे थे। गाड़ी का मेड व नम्बर भी याद नहीं है। मानचित्र घटनास्थल मे बरादमगी कोठरी के अन्दर पीछे की दीवार के पास दिखायी गयी है तथा पी0डब्लू–1 आर0एन0 सिंह व पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला ने भी बरामदगी कोठरी के अन्दर से किए जाने की बात कहीं है परन्तु पी0डब्लू–19 जय प्रकाश पांडे के बयानो मे यह कथन है कि बरामदगी का स्थान कोठरी के पास किनारे था जिससे यह स्थापित हो रहा है कि बरामदगी स्थल कोठरी के अन्दर न होकर कोठरी के बाहर का है। पी0डब्लू–19 जय प्रकाश पांडे की मुख्य परीक्षा मे यह भी बयान है कि मिट्टी हटाकर दो पालीथीन निकाली गयी थी जबकि अन्य साक्षियो के बयानो मे एक पालीथीन खाकी टेप मे लिपटी हुई बरामद होने की बात बतायी गयी है। अभियोजन ने इस बरामदगी के जन साक्षी पी0डब्लू–20 मनोज यादव को भी पेश किया है। इस साक्षी के नाम का उल्लेख फर्द मे किया गया है परन्तु फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं है और इस संदर्भ मे यह उल्लेख किया गया है कि बरामदगी के पूर्व जनता के गवाहान फराहम किए जाने का प्रयास किया गया तो जनता के गवाह घनश्याम,शत्रोहन लाल व मनोज यादव व अन्य व्यक्तियो ने अभियुक्तगण के आतंकवादी होने के कारण भय वश गवाही देने से मना कर दिया। पी0डब्लू–20 मनोज यादव के बयान के परिशीलन से उसका बयान विश्वसनीयता के स्तर का प्रतीत नहीं होता है। उसने प्रतिपरीक्षा मे यह बयान दिये है कि ''वह बच्चो के स्कूल की बस मे कंडक्टरी करता है। स्कूल वहां से 02 किमी0 दूर है बस मोहनलालगंज मे खड़ी करता है। गाड़ी डेढ़ बजे चलती है व दो बजे खड़ी हो जाती है। बस मे लगभग 100–150 बच्चे जाते है। जिन्हे अलग–अलग उतरना होता है और जो सबसे आखिर मे उतरता है उस जगह से स्कूल 4–5 किमी0 दूर है। एक बच्चे को उतारने मे 3–4–5 मिनट लगता है। साक्षी ने आगे यह कथन किये है कि उस दिन मै गाड़ी पर नहीं गया था छुट्टी की थी और उस दिन भैंस चरा रहा था। साक्षी के प्रतिपरीक्षा मे यह बयान भी है कि सबसे पहले वहां पर पुलिस वाले एक बड़ी गाड़ी जिसमे मुलजिम थे वह आयी थी। सबसे पहले पुलिस वाले पहुॅचे थे 10–15 मिनट मे जब भीड़ बढ़ने लगी तब मै वहां पहुॅचा फिर बहुत सारे लोग वहां पर आ गये थे पुलिस वाले खोंद रहे थे जो पुलिस वाले वहां पर थे उनमे से मै किसी को पहचानता नहीं था। आज उनमे से किसी को देखू तो पहचान नहीं पाउॅगा। पुलिस वाले से मेरी दो महीने बाद बात हुई थी मैने उनसे कहा था कि मै गवाही दूॅगा मेरी एक पुलिस वाले से बात हुई थी। दरोगा था या सिपाही था मै पहचान नहीं पाउॅगा। यह नहीं पता कि मौसम कौन सा था। घटना वाले दिन पुलिस वालो के बुलाने पर नहीं गया था। सामान खोंदकर निकाला जा चुका था जब

मै पहुॅचा था।'' साक्षी के उपरोक्त बयानो से यह परिलक्षित हो रहा है कि साक्षी की मौके पर उपस्थित तथा उसके द्वारा कार्यवाही देखा जाना ही संदिग्ध है। साक्षी घटना का मौसम तक नहीं बता पाया है। उसके बयानो व अन्य साक्षियो के बयानो तथा अभियोजन केस मे अन्य गंभीर विसंगतियां व भिन्नतायें भी है। फर्द मे यह उल्लेख किया गया है कि आतंकवादी के भय के कारण साक्षी ने गवाही देने से मना कर दिया जबकि साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह कहा हे कि उसे डर नहीं लगा था सब लोग वहां मौजूद थे। गवाही के लिए उसकी किसी पुलिस वाले से बात नहीं हुयी। पी0डब्लू–1 आर0एन0 सिंह व पी0डब्लू–2 अभय नारायन शुक्ला के बयानो मे अभियुक्तगण के द्वारा जमीन खोंदकर विस्फोटक पदार्थ बरामद होने की बात आयी है जबकि इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के बयानो मे पुलिस वालो के द्वारा ही खुदाई करने का कथन है। इस साक्षी ने यह भी कथन किए है कि सबसे पहले पुलिस वाले मौके पर पहुॅचे थे जबकि अभियोजन केस के अनुसार मुलजिमान ने आगे–आगे चलकर घटनास्थल पर निशांदेही की थी। अन्त में साक्षी ने यह भी कहा है कि सामान खोंदकर निकाला जा चुका था जब वह पहुॅचा था। अभियोजन केस के अनुसार पुलिस को यह पहले से जानकारी थी कि जो सामान बरामद कराया जाना है वह विस्फोटक पदार्थ है परन्तु विस्फोटक बरामद करने तथा उसके पश्चात उसे हैण्डिल करने में किसी प्रकार की कोई सावधानी नहीं बरती गयी है। बम निरोधक दस्ते को भी सूचित नहीं किया गया। मामले की परिस्थितियो व साक्ष्य की भिन्नताये व विसंगतियां इस बरामदगी को भी सन्देहास्पद बनाती है और मामले की परिस्थितियो मे यह इंगित हो रहा है कि अभियुक्तगण को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड मे लेकर उनके फर्जी बयानो के आधार पर यह बरामदगी भी प्लांट की गयी है।

25. शेष साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है जिसके द्वारा विवेचना की कार्यवाही तथा विभिन्न अभियोजन प्रलेखो को साबित किया गया है।

26. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115,120बी,121,121ए,122 व 124 भा0दं0सं0 व धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के आरोप लगाये गये है। परन्तु अभियोजन कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त आरोपो के संदर्भ मे फर्द प्रदर्श क–1ए में किए गए किसी कथन की पुष्टि हो रही हो। इस संदर्भ मे केवल अभियुक्तगण द्वारा स्वंय अपनी गतिविधियो व आगे के बारे मे दी गई जानकारी का उल्लेख फर्द मे किया गया है परन्तु इसको साबित करने के लिए पत्रावली मे किसी प्रकार का कोई

साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य है अथवा उनका उक्त संगठन से कोई सम्बंध है, और वे देश के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियो मे संलिप्त रहे है। विस्फोटक पदार्थ व आग्नेयास्त्र की बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्तगण को आतंकवादी गतिविधियो मे संलिप्त होना माना जा सकता था परन्तु विस्फोटक पदार्थ व आग्नेयास्त्र की बरामदगी पूर्णतया संदिग्ध हे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित हो रहा है कि एस0टी0एफ0 ने अलग–अलग स्थानो से अलग–अलग व्यक्तियो को अलग–अलग समय पर उठाया है और विभिन्न प्रकार से अलग–अलग व फर्जी कहानी बनाकर तथा बरामदगी प्लांट कर झूठे केस बनाये है।

27. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,फौ0 ने निम्नलिखित विधि व्यवस्थाये अपने केस के समर्थन मे प्रस्तुत की हैः–

1. बाबा साहब राव भोगले बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 ए0आई0आर0 पेज 2622 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है जिसमे यह अवधारित किया गया है कि सन्देह से परे का यह अर्थ नहीं हे कि हर सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाये केवल युक्तियुक्त सन्देह के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।

2. सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य क्रिमिनल अपील नं0 1015/2002 निर्णय की तिथि 31/07/2003 की इण्टरनेट कापी प्रस्तुत की है जिसमे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि केवल हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर साक्षी के बयान को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है तथा युक्तियुक्त सन्देह का आधार तर्कसंगत तथा 'कॉमनसेंस' पर आधारित होना चाहिए।

3. अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 1988(एस.सी.) पेज 696 की विधि व्यवस्था मे यह अवधारित किया गया है कि केवल इस आधार पर कि अभियोजन ने स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किए है,अभियोजन केस को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

4. दिल्ली सरकार बनाम सुनील 2000(1)एस.सी.सी. पेज 652 की विधि व्यवस्था मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस के द्वारा कर्तव्यो के निर्वहन मे की गई कार्यवाही के बारे मे उपधारणा की जायेंगी कि वह नियमित रुप से की गयी है।

पुलिस कार्यवाही को अविश्वसनीय मानकर उसे 'डिस्कार्ड' नहीं कर दिया जायेंगा।

5. स्वप्न पत्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य(1999)9 एस.सी.सी. पेज 242 की विधि व्यवस्था मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि असत्य बचाव केस को परिस्थितियो की श्रृंखला की अतिरिक्त कड़ी मानकर उसका प्रयोग किया जा सकता है।

6. उ0प्र0राज्य बनाम धनजंय ए.आई.आर0 1965(इला.) पेज 260 की विधि व्यवस्था मे यह अवधारित किया गया है कि दं0प्र0सं0 या आयुध अधि0 मे ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत यह आवश्यक हो कि बरामद सामान को मौके पर विवेचक द्वारा सील किया जाये व यदि बरामद सामान के सुरक्षित ले जाने व रखने के बारे मे लिंक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो बरामदगी का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा व उसके आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

7. कर्मजीत सिंह बनाम स्टेट(2003)5 एस.सी.सी. पेज 291 की विधि व्यवस्था मे यह अवधारित किया गया है कि पुलिस कर्मी साक्षियो के बयान भी अन्य गवाहो के बयानो की तरह माने जायेगे और बिना स्वतंत्र साक्षियो के बयानो के पुष्टिकृत हुए भी उनका विश्वास किया जा सकता है।

8. हेमा बनाम स्टेट 2013(2) डी.एन.आर. पेज 761 की विधि व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर दिया है वहां पर अभियुक्त को मात्र इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है कि अन्वेषण त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ का कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि इस मामले मे पूरा अभियोजन केस संदिग्ध है। अभियोजन साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां व भिन्नताये है और साक्षियो के बयान विश्वसनीयता के स्तर के नही है। मामले के तथ्य व परिस्थितियां यह इंगित कर रही है कि बरामदगी प्लांट कर फर्जी केस बनाये गये है।

28. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन जिस प्रकार मुठभेड़ के बाद अभियुक्तगण जलालुद्दीन व नौशाद की गिरफतारी होना बता रहा है वह मामले की परिस्थितियो में संदिग्ध है और उनके पास से दिखायी गयी बरामदगी भी संदिग्ध है।

अभियुक्तगण अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान व शेख मुख्तार हुसैन की निशांदेही पर दिखायी गयी बरामदगी भी मामले की परिस्थितियों में संदिग्ध है। अभियोजन केस मे अप्रकृतिक एवं अस्भाविक परिस्थितियां है तथा साक्ष्य मे गंभीर विसंगतियां व भिन्नताये है जो साक्षियो के कथनो को अविश्वसनीय बना रहे हैं। अभियोजन ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण का कोई सम्बंध किसी आतंकवादी संगठन से अथवा वे आतंकवादी गतिविधियो मे संलिप्त रहे हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपने केस को सिद्ध कर पाने मे असफल रहा है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला,नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर,शेख मुख्तार हुसैन,मोहम्मद अली अकबर हुसैन,अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार एवं नूर इस्लाम उर्फ मामा को धारा 115,120बी,121,121ए,122,124ए व 307 भा0दं0सं0 व धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि0 के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्लाह व नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर,मो0 अली अकबर हुसैन,शेख मुख्तार हुसैन व अजीजुर्रहमान उर्फ सरदार को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्लाह व नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर का धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

चूँकि उपरोक्त सभी अभियुक्तगण गिरफतारी के समय से जिला कारागार में निरुद्ध है। इसलिए यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हें अविलम्ब जेल से रिहा किया जाये।

अभियुक्त जलालुद्दीन एवं नौशाद के पास से बरामद रुपये क्रमशः 3200/– एवं 1855/–नगद अपील अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार उन्हें वापस

किया जायें और शेष माल मुकदमा का निस्तारण बाद मियाद अपील नियमानुसार किया जायें। अपील होने की दशा मे उसमे पारित आदेश के अनुसार माल निस्तारित किया जायेंगा।

अभियुक्तगण का रिहाई वारण्ट तत्काल जिला कारागार,लखनऊ प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण धारा 437–ए दं0प्र0सं0 के प्राविधानो के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर रुपये 25–25 हजार के दो–दो जमानती व इसी धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करें।

इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त समेकित सत्र परीक्षण की पत्रावलियो पर रखे जायीं।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः29/10/2015 लखनऊ।

निर्णय एवं आदेश आज मेरें द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः29/10/2015 लखनऊ।

अ0ज0
29.10.15